VEHICLE LOAN CUM HYPOTHECATION AGREEMENT

This Agreement ("Agreement") is made at Pune City East on this 22 day of 2022

BETWEEN

WheelsEMI Private Limited, a non banking financial Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 3A, Shyam Shankuntal Heights, Modi Baug, Ganeshkhind Road, Behind Deccan Wheels Showroom, Shivajinagar, Pune - 411 016, Maharashtra, India and having its branch offices at various locations in India (herein after called the "Lender" which expression shall, unless it be repugnant to the meaning or context thereof, mean and include its successors in title and assigns) of the FIRST PART

AND

The Borrower(s) and/or the Guarantor(s) more particularly described and set out in the Schedule hereof (The expression "Borrower(s)" / "Guarantor(s)" shall, unless it be repugnant to the meaning or context thereof, mean and include, all their heirs, executors, administrators, nominees, partners, legal representatives, assigns, and all their successor in interests, as applicable) of the **SECOND PART**

The Lender is a NBFC engaged in the business of providing financial assistance for various purposes. The Borrower(s), being desirous of availing of a loan for purchase of Vehicle(s) / against Vehicle(s) from the Lender has submitted a duly filled and signed Application Form solemnly affirming as the contents in the Form being absolutely true and correct and has agreed with the Lender to enter into this Agreement. The Lender has agreed to sanction an interest-bearing loan for a certain tenure on the terms and conditions described hereunder.

1. DEFINITIONS, MEANINGS & INTERPRETATIONS

- (a) "Application Form" means, as the context may permit or require, the Application Form submitted by the Borrower(s) to the Lender for applying for and availing of the Loan/financial facility and shall include the attachments thereto.
- (b) "Borrower(s)" means the person/s first named hereinabove and who are named as such in all other Loan Terms and shall include a Co-Borrower(s), if any.
- (c) "Borrower's Dues" inter alia includes the outstanding Principal amount of the Loan, interest on the Loan, all other interest, all fees, costs, charges, expenses, taxes and all other sums whatsoever payable by the Borrower(s) to the Lender in accordance with the Loan Terms or any other subsisting instrument executed between the Borrower(s) and the Lender.
- (d) "Dealer" means a proprietorship, company or any other legal entity by whatever name called involved in the business of selling used Vehicle(s) through multiple outlets or new Vehicle(s) as authorised distributors and/or dealers of the manufacturers of

वाहन ऋण और दृष्टिबंधित करार

यह करार ("अनुबंध")	पर	
के इस दिन बनाया गया है		

के बीच

द्हील्सईएमआई प्राइवेट लिमिटेड, एक गैर बैंकिंग वितीय कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल है जिसका पंजीकृत कार्यालय 3A, शाम शकुंतल हाइट्स, मोदी बाग, गणेशखिंड रोड, डेक्कन व्हील्स शोरूम के पीछे, शिवाजीनगर, पुणे - 411 016 महाराष्ट्र, इंडिया में स्थित है और भारत में विभिन्न स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय हैं (इसमें इसके पश्वात् "ऋणदाता" कहा जाता है, जो तब तक प्रकाशन करेगा, जब तक कि यह उसके अर्थ या संदर्भ के लिए प्रतिगामी न हो, अपने उत्तराधिकारियों को अधिकार और वारिस में शामिल करें) के पहले भाग से

और

उधारकर्ता(ओं) और/या गारंटीकर्ता(ओं) को अधिक विशेष रूप से वर्णित किया गया है और अनुसूची में निर्धारित किया गया है ("उधारकर्ता(ओं)" / "गारंटीकर्ता(ओं)" का तात्पर्य, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के लिए प्रतिगामी न हो, उनके सभी वारिस, निर्वाहक, प्रशासक, नामित, साझेदार, कानूनी प्रतिनिधि, वारिस और हित में उनके सभी उत्तराधिकारियों को अधिकार और वारिस में शामिल करें, जैसा भी लागू हो) के दूसरे भाग से ऋणदाता एक एनबीएफसी है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए वितीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। उधारकर्ता(ओं) ने ऋणदाता के साथ वाहन(नों)/वाहन(नों) के विरुद्ध खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने हेत् इच्छ्क उधारकर्ताओं ने विधिवत रूप से भरे हए और हस्ताक्षर किए हुए आवेदन पत्र को पूरी तरह से सच होने के रूप में पृष्टि की है और इस समझौते में प्रवेश करने के लिए ऋणदाता के साथ सहमति व्यक्त की है। ऋणदाता ने यहां वर्णित नियम और शर्तों पर एक निश्चित अवधि के लिए ब्याज-वहन करने वाले ऋण को मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की है।

1. परिभाषाएँ, अर्थ और व्याख्याएँ

- (a) "आवेदन पत्र" का अर्थ है, जैसा भी अनुमित या आवश्यकता के सन्दर्भ में हो सकता है, ऋण/वितीय सुविधा के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा आवेदन करने और लाभ उठाने के लिए ऋणदाता(ओं) द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र और संलग्नक शामिल हैं
- (b) **"उधारकर्ता(ओं)"** का अर्थ है, उस व्यक्ति का पहला नाम जो निर्दिष्ट है और जिन्हें अन्य सभी ऋण शर्तों में नामित किया गया है और यदि कोई हो तो सह-उधारकर्ता(ओं) को शामिल किया जाएगा।
- (c) "उधारकर्ता देय राशि" में ऋण की शर्तों या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित किसी अन्य उप-साधन के अनुसार ऋण की बकाया मूल राशि, ऋण पर ब्याज, अन्य सभी ब्याज, सभी शुल्क, लागत, शुल्क, व्यय, कर और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय सभी अन्य राशि शामिल हैं।
- (d) "विक्रेता" का अर्थ है, एक मालिकाना, कंपनी या किसी भी अन्य कानूनी इकाई के द्वारा जिस भी नाम से इस्तेमाल किया गया वाहन बेचने के व्यवसाय कई बिक्रीकेन्द्रों या नए वाहन(नों) के अधिकृत वितरक और/या वाहन निर्माताओं

Wrtrt Rtrtr
22 Feb 2022 01:2553 PM (UTC+05:30)

- the Vehicle(s) or its sales subsidiary and includes a sub-dealer.
- (e) "Due Date" means the date(s) on which any amounts in respect of the Borrower's Dues falls due for payment.
- (f) "Equated Monthly Instalment (EMI)" means the amount payable every month by the Borrower(s) to the Lender comprising of interest, or as the case may be, principal and interest calculated on the basis of monthly rests at the rate applicable as stated in the Schedule hereunder.
- (g) "INTEREST RATE" MEANS THE RATE AT WHICH THE LENDER SHALL COMPUTE AND APPLY INTEREST ON THE LOAN, AS STATED IN THE SCHEDULE HEREUNDER OR AS MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME BY THE LENDER.
- (h) "Loan" means the amount disbursed by the Lender to the Borrower(s) or to the order of the Borrower as per the terms and conditions stated in this Agreement.
- (i) "Loan Terms" refers to all written understandings including but not limited to the Application Form and this Loan Agreement in relation to, or pertaining to, the Loan as amended from time to time.
- (j) "Payment Mandate" hereinafter referred to as "PM", shall be deemed to include auto debit mandate or NACH or any e-payment modes as defined by Reserve Bank of India from time to time.
- (k) "PENAL / DEFAULT INTEREST RATE" MEANS THE RATE AT WHICH THE LENDER SHALL COMPUTE AND APPLY INTEREST ON ALL AMOUNTS NOT PAID WHEN DUE FOR PAYMENT (OR REIMBURSEMENT) BY THE BORROWER(S) TO THE LENDER, AS STATED IN THE SCHEDULE OR AS MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME BY THE LENDER.
- (I) "Post Dated Cheques" (PDC) means the cheques issued by the Borrower(s) in favour of the Lender for repayment of the Loan along with accrued interest.
- (m) "Vehicle(s)" or "Commercial Vehicle" means the Vehicle described in the Application Form, which is sought to be purchased by the Borrower(s) with the Loan amount and/or against which Loan amount has been granted by the Lender and/or that which is offered as security for securing the due repayment of the Borrower's Dues.
- (n) "RBI" means Reserve Bank of India.
- (o) "Schedule" means and includes Schedules, term sheet attached hereto and forming an integral part of this Agreement.
- (p) Interpretations: Reference to the masculine gender includes feminine and neutral gender and vice versa and singular to plural. "Parties" means the Lender, the Borrower(s) and the Guarantor referred to collectively. "includes" or "including" shall be construed without limitation. Headings are inserted for ease of reference and shall be ignored in the construction and interpretation of the Agreement.
- 2. LOAN AMOUNT, DISBURSEMENT, INTEREST, TAXES AND OTHER TERMS OF THE LOAN

2.1 Amount of the Loan

The Lender hereby agrees to lend, and the Borrower(s) hereby agrees to borrow such amount

- के विक्रेता(ओं) या इसके बिक्री सहायक और एक उपविक्रेता भी शामिल है।
- (e) "देय तिथि" का अर्थ उस तिथि(यों) से है जिस पर भुगतान के लिए उधारकर्ता के बकाया के संबंध में राशि देने की तिथि आती है।
- (f) "मासिक किस्त (EMI)" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा हर महीने देय राशि, जिसमें ब्याज शामिल है, या अनुसूची में समायोजित और निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, मूल और ब्याज की गणना मासिक दर के आधार पर की जाती है जो लागू दर के आधार पर बताई गई है।
- (g) "ब्याज दर" का अर्थ वह दर है जिस पर ऋणदाता हिसाब लगाकर ऋण राशि पर ब्याज को संप्रयोजित करता है, जैसा कि अनुसूची में समायोजित और निर्दिष्ट या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- (h) **"ऋण"** का अर्थ है इस समझौते में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की गई राशि।
- (i) "ऋण की शर्तें" सभी लिखित समझौते को संदर्भित करती है, लेकिन समय-समय पर संशोधित ऋण के रूप में, आवेदन प्रपत्र और इस ऋण समझौते तक सीमित या संबंधित नहीं है।
- (j) "भुगतान आदेशपत्र" इसके बाद "PM" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित ऑटो डेबिट आदेशपत्र या किसी ई-भुगतान मोड को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।
- (k) "दंड विषयक/ दोष ब्याज दर"का अर्थ वह दर है जिस पर ऋणदाता हिसाब लगाकर उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को समय पर या जो भी लागू हो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी बकाया राशि नहीं देने पर ब्याज संप्रयोजित करता है।
- (I) "पोस्ट डेटेड चेक" (पीडीसी) का अर्थ ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा अर्जित ब्याज के साथ ऋण की चुकौती के लिए जारी किए गए चेक है।
- (m) "वाहन(ओं)" या "वाणिज्यिक वाहन" का अर्थ है वाहन जो आवेदन पत्र में वर्णित है, जिसे उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि और/या जिसके खिलाफ ऋण राशि ऋणदाता द्वारा दी गई है/ या वह जो उधारकर्ता की बकाया राशि के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया जाता है।
- (n) "RBI" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक।
- (o) "अनुसूची" का अर्थ है शामिल अनुसूची, इसके साथ ही संलग्न शर्त-पत्र जो इस अनुबंध का अभिन्न अंग हैं।
- (p) व्याख्या :पुरूष लिंग के संदर्भ में स्त्री और मध्यस्थ लिंग और विपरीतत्या और एकवचन में बहुवचन शामिल हैं। "पार्टिज" का अर्थ ऋणदाता, उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता को सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाता है। "शामिल" या "सहित" सीमा के बिना माना जाएगा। संदर्भ की आसानी के लिए शीर्षकों को डाला जाता है और समझौते के निर्माण और व्याख्या में इसे अनदेखा कर दिया जाएगा।
- 2. ऋण राशि, छूट, ब्याज, टैक्स और ऋण के अन्य नियम
- 2.1 ऋण राशि

Writt Rittr
22 Feb 2022 01:2553 PM (UTC+05:30)
SignDv

as is set out in Schedule of this Agreement on the security of the Vehicle(s) as described in the Schedule, on the terms and conditions hereinafter appearing.

2.2 Disbursement of the Loan

- (a) The loan will be considered as disbursed when the loan amount is paid by the Lender by cheque or pay order or RTGS or NEFT or any other eligible payment mode as prescribed under law, to the Borrower and/or the Dealer and/or to the seller of the Vehicle(s) and/or any other third party as requested by the Borrower(s) and approved by the Lender, in one or more multiple instalments.
- (b) In case the Borrower(s) fail to obtain the delivery of the Vehicle (against which loan is availed) from the Dealer/Broker/other party, and/or register the Vehicle(s) with the Regional Transport Office and hypothecate the Vehicle(s) in favour of the Lender within the stipulated timeline, and/or is unable to obtain a "No Dues Certificate / No Objection Certificate" for transfer of lien of the above said Vehicles from the previous financier, and/or under any other similar circumstances, the Lender will treat the above disbursed loan in the manner desirable to the Lender and the Lender reserves the right to modify the terms and conditions of the Loan at its sole discretion and intimate to Borrower(s).

2.3 Tenure of the Loan

The tenure of the Loan shall be as set out in Schedule.

2.4 Interest

- (a) The Borrower(s) shall be liable to pay interest, as per Schedule, on the Loan amount from the date of disbursement.
- (b) **COMPUTATION OF INTEREST - THE EMI COMPRISES** OF PRINCIPAL AND INTEREST CALCULATED ON THE BASIS OF RATE OF INTEREST MENTIONED IN SCHEDULE ON MONTHLY REDUCING BALANCE AND IS ROUNDED OFF AS PER RBI MASTER DIRECTIONS. INTEREST AND ANY OTHER CHARGES SHALL BE COMPUTED ON THE BASIS OF A YEAR COMPRISING MONTHS. **BORROWER(S)** 12 THE **ACKNOWLEDGES** HAS **FULLY** THAT IT UNDERSTOOD THE METHOD OF COMPUTATION AND BASIS THEREFOR.

2.5 Repayment

The Loan amount along with interest shall be repayable in instalments ("Instalment") as set out in Schedule hereto. The payment of Instalments shall commence and continue as set out in Schedule irrespective of the non/delayed delivery of the Vehicles(s). Any dispute or difference whatsoever, non-functioning of the Vehicle(s) for any reason whatsoever or delay in the settlement of insurance claim whatsoever shall not entitle the Borrower(s) to withhold or delay payment of any instalments or other dues as per this Agreement. The Borrower(s) hereby confirm having perused, understood and agreed to the Lender's method of calculating Instalments.

2.6 Taxes and other charges

ऋणदाता ऋण देने के लिए सहमत हो जाता है और उधारकर्ता(ओं) इस तरह की राशि उधार लेने के लिए सहमत होते हैं, जैसा कि इस समझौते की अनुसूची में वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार, वाहन की सुरक्षा पर निर्धारित है।

2.2 ऋण का वितरण

- (a) ऋण को ऋणदाता द्वारा चेक या भुगतान आदेश या RTGS या NEFT या कानून के तहत निर्धारित किसी अन्य उचित भुगतान मोड द्वारा उधारकर्ता को और/या विक्रेता और/ वाहन विक्रेता और/या तीसरी पार्टी को एक या एक से अधिक किस्तों में उधारकर्ता द्वारा अनुरोधित और ऋणदाता द्वारा अनुमोदित भुगतान किए जाने पर ऋण वितरण के योग्य माना जाएगा।
- (b) यदि उधारकर्ता(ओं), जो विक्रता/ दलाल / अन्य पार्टी से वाहन का वितरण प्राप्त करने में विफल रहता है, और/या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पास वाहन पंजीकृत करवाने या निर्धारित समयसीमा के भीतर ऋणदाता के पक्ष में अपने वाहन को दृष्टिबाधित करार करने में असमर्थ रहता है और/या अन्य समान परिस्थितियों के तहत पिछले वित्तपोषक से उक्त वाहनों के लेन के हस्तांतरण के लिए "अदेयता प्रमाणपत्र/अनापित प्रमाणपत्र" प्राप्त करने में असमर्थ है, तो ऋणदाता ऋणदाता के लिए उपरोक्त संवितरित ऋण का वांछनीय तरीके से प्रबंध करेगा और ऋणदाता अपने विवेकाधिकार और उधारकर्ता के सिन्नकर्ष आदान से ऋण के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.3 ऋण की अवधि

ऋण की अवधि अनुसूची में निर्धारित की जाएगी।

2.4 ब्याज

- (a) उधारकर्ता, अनुसूची के अनुसार, उधार लेने की तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (b) ब्याज की गणना-RBI के मुख्य निर्देशानुसार EMI ब्याज दर के आधार पर प्रधान राशि और ब्याज राशि को सम्मिलित करता है जो अनुसूची में वर्णित मासिक न्यून देय राशि है। ब्याज और कोई अन्य शुल्क की गणना 12 महीने के एक वर्ष के आधार पर की जाती है। उधारकर्ता इस बात की स्वीकृति देता है कि उसने गणना की विधि और आधार को पूरी तरह समझ लिया है।

2.5 भगतान

ब्याज के साथ ऋण राशि किश्तों ("किस्त") में चुकानी होगी, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया है। किस्तों का भुगतान वाहनों की गैर / विलंबित डिलीवरी के बावजूद अनुसूची में शुरू और जारी रहेगा। कोई भी विवाद या अंतर जो भी हो, किसी भी कारण से वाहन की गैर-कार्यशीलता या बीमा दावा के निपटान में देरी जो भी हो, अनुबंधानुसार उधारकर्ता को किसी भी किश्त या अन्य देय राशि के भुगतान या देरी के भुगतान का अधिकार नहीं होगा। एतद्वारा उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि किस्तों की गणना करने के ऋणदाता के तरीके के बारे में उसने ध्यान से पढ़ा, समझा है और वह पूरी तरह से सहमत है।

2.6 कर और अन्य शुल्क

उधारकर्ता(ओं) अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता को इस

Wrtt Rtrtr

22 Feb 2022 01:25:53 PM (UTC+05:30)

-SignDesk

The Borrower(s) irrevocably agrees to pay to the Lender all applicable taxes and duties levied on this transaction and/or upon the Vehicle(s), service fees, legal charges, charges for collecting or attempting to collect the payments due to the Lender, charges payable on cheques deposited/PM for the payment of instalments or any other dues including returned unpaid and delayed payment charges as set out in the Schedule hereto and all other incidental charges specified by the Lender including costs, expenses, incurred or paid by the Lender or payable under any terms and conditions of this Agreement. The Borrower(s) shall also bear all the other tax, toll, duties, levies, cess etc. as may be imposed by the Central Government, State Government, judicial, quasi judicial or any municipal authorities on the Vehicle from time to time. It shall be Borrower(s) sole responsibility to provide all tax registration details and the Lender shall not be responsible for verification of the same.

2.7 Advance Instalment

The Borrower(s) shall pay to the Lender such number of Instalments as set out in Schedule in advance either at the time of the execution of this Agreement or at any time hereafter as desired by the Lender. The Borrower(s) also agrees that the Lender at its sole option without any reference to the Borrower(s) shall adjust the amount of advance Instalments against any amount due and payable by the Borrower(s). The Borrower(s) shall not be eligible for any interest on the advance Instalments.

2.8 DELAYED PAYMENT CHARGES AND PENAL / DEFAULT INTEREST

IN THE EVENT OF ANY DELAY OR DEFAULT IN THE PAYMENT OF ANY INSTALMENTS ON THE DUE DATES OR OF PAYMENT OF ANY OTHER DUES UNDER THIS AGREEMENT, THE BORROWER(S) SHALL PAY TO THE LENDER DELAYED PAYMENT CHARGES ("DELAYED CHARGES") AT THE RATE AS SET OUT IN SCHEDULE HEREUNDER. SUCH DELAYED CHARGES SHALL BE COMPUTED FROM THE RESPECTIVE DUE DATES FOR THE PAYMENT UPTO THE DATE OF REPAYMENT/REALIZATION.

2.9 Repayment Mode

The Borrower(s) shall deposit with the Lender (a) PDC/PM for the amount of Instalments and shall ensure that adequate balance is available in the bank account of which the PDC/PM have been issued. The Borrower(s) warrants that the PDC/PM will be honored on first presentation. No notice shall be given by the Lender to the Borrower(s) prior to the presentation of any of the PDC/PM. It is expressly agreed and understood that Borrower(s) shall at no time close the bank account(s) from which the PDC/PM have been issued or issue any communication to the Lender for stopping or postponing the presentment of the said PDC/PM and the Lender will not be bound to take notice of any such communication, if issued. Strict compliance with the repayment schedule is an essential condition for the grant of the Loan. Any non-presentation of the PDC/PM due to any reason लेन-देन और/या वाहन पर सभी लागू कर और शुल्क सेवा श्ल्क, वैध श्ल्क, ऋणदाता के कारण भ्गतानों को इकट्ठा करने या एकत्र करने की देय सभी लागू करों और शुल्कों का भूगतान, अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं और ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट सभी अन्य आकस्मिक श्रूक, जिसमें लागत, व्यय, वेतन या भुगतान किस्तों के भुगतान के लिए जमा/ PM पर दिए गए चेक पर देय शुल्क और किसी अन्य छूट सहित बकाया और विलंबित भ्गतान शुल्क शामिल हैं या अनुबंधानुसार किसी भी नियम और शर्तों के अधीन देय है। उधारकर्ता(ओं) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायिक, अर्ध न्यायिक या किसी भी नगरपालिका अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वाहन पर लगाए गए अन्य सभी कर, टोल, शुल्क, आरोपित राशि, उपकर आदि भी वहन करने होंगे। सभी कर पंजीकरण विवरण प्रदान करना उधारकर्ता(ओं) की स्वयं जिम्मेदारी होगी और ऋणदाता उसके सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

2.7 अग्रिम किस्त

उधारकर्ता(ओं) ऋणदाता को इस समझौते के निष्पादन के समय या अग्रिम में ऋणदाता द्वारा वांछित किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित की गई किश्तों की संख्या का भुगतान करेंगे। उधारकर्ता (ओं) को इससे सहमत होना पड़ेगा कि किसी भी संदर्भ के बिना अपने एकमात्र विकल्प पर ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय किसी भी राशि के खिलाफ अग्रिम किस्तों की राशि को समायोजित करेगा। उधारकर्ता(ओं) अग्रिम किस्तों पर किसी भी ब्याज के लिए वांछनीय नहीं होंगे।

2.8 विलंबित भुगतान शुल्क और दंड विषयक / दोष ब्याज

इस अनुबंध के अधीन देय तिथि या अन्य देय के किसी भी किस्त के भुगतान में किसी भी तरह के विलम्ब या दोष की घटना की स्थित में, उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता को अनुसूची में निर्दिष्ट दर से विलंबित भुगतान शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह के विलंबित शुल्क क्रमशः भुगतान की देय तिथि से पुनः भुगतान/प्राप्ति की तिथि तक जोड़े जायेंगे।

2.9 ऋण अदायगी प्रणाली

(a)

उधारकर्ता (ओं) किश्तों की राशि के लिए ऋणदाता के PDC /PM के साथ जमा करेगा और यह स्निश्चित करेगा कि PDC / PM हेत जारी किए गए बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो। उधारकर्ता(ओं) को इसका अनुज्ञा-पत्र देना पड़ेगा कि PDC / PM को पहली प्रस्तुति पर सम्मानित किया जाए। PDC/ PM में से किसी की प्रस्तुति से पहले ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझा जाता है कि उधारकर्ता (ओं) किसी भी समय बैंक खाते को, जहाँ से PDC/PM निर्गत किया गया है, बंद नहीं कर सकते या उक्त PDC/PM की प्रस्तुति को रोकने या स्थगित करने के लिए ऋणदाता से कोई संपर्क नहीं कर सकते और यदि यह जारी किया जाता है, तो ऋणदाता ऐसे किसी भी सन्देश की सूचना लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऋणअदायगी अनुसूची के साथ सख्त अनुपालन ऋण के अनुदान के लिए एक आवश्यक शर्त है। किसी भी कारण से PDC/PM की

will be not affect the liability of the Borrower(s) to pay Instalments or any other sum. The Borrower(s) agrees to replace the PDC/PM if required by the Lender. In the event of any PDC/PM given by the Borrower(s) is returned unpaid for any reason whatsoever, the borrower agrees to pay the Lender at its office or designated collection centers (by cash, digital payment or DD) the amount due together with applicable penalty immediately. This is without prejudice to any other rights or remedies that the Lender may have against the Borrower(s) under the statutory provisions or under this Agreement. The Borrower(s) agrees that if any amounts are outstanding for payment by the Borrower(s) (not being the Instalment under the Agreement) either under this Agreement or on account of Borrower's Dues in respect of or under any other agreement entered with the Lender in any capacity, the Lender shall be entitled to encash the PDC/PM deposited with it for the satisfaction of such outstanding amounts notwithstanding that the PDC/PM have been deposited with it for the repayment of the Instalments under this Agreement and the Borrower(s) shall continue to be indebted to the Lender for the Instalments under this Agreement.

- (b) The Lender at its discretion may grant loan to the Borrower(s) without collecting PDC/PM provided the customer undertakes/promises to make the payment is Cash towards monthly instalments on or before its due date at the designated collection centers of the Lender without any delay or default on receipt of valid receipt of the Lender only. In the event the Borrower(s) fail to make the payment in Cash towards any of the sums payable under this Agreement for any reason whatsoever the Lender shall be entitled to levy penal interest as set out in Schedule for each such delay/default. This is without prejudice to any other rights or remedies that the Lender may have against the Borrower(s) under the statutory provisions and also under this Agreement.
- (c) The Borrower(s) shall execute a Demand Promissory Note in favor of the Lender for total cumulative value of this Agreement, if required by the Lender.
- (d) Lender may, in its sole discretion, require the Borrower(s) to adopt or switch to any alternate mode of payment and the Borrower(s) shall comply with such request, without demur, delay or protest.
- (e) Lender may, in its sole discretion, allow the Borrower(s) to pay/remit the sum payable under this Agreement partly through one mode and partly through another or to adopt or switch to any alternate mode of payment on specific request by the Borrower(s) only.
- (f) In case the Borrower(s) has / have more than one loans outstanding, then the Borrower(s) permits the Lender for sake of operational convenience to combine the sum of all the monthly instalments, due against each of such number of Loans outstanding as on the date of presentation of each monthly instalment, and present one single

किसी भी प्रकार की गैर-प्रस्तुति उधारकर्ता(ओं) की किस्तों या किसी अन्य राशि का भ्गतान करने की देयता को प्रभावित नहीं करेगा। ऋणदाता की आवश्यकतान्सार उधारकर्ता(ओं) PDC/PM को परिवर्तित करने के लिए सहमत हो सकता है। उधारकर्ता(ओं) द्वारा दिए गए किसी भी PDC/ PM की स्थिति में, किसी भी करणवश यदि भ्गतान नहीं किया जाता है तो उधारकर्ता ऋणदाता के कार्यालय या नामित संग्रह केंद्रों (नकद, डिजिटल भ्गतान या DD द्वारा) पर एक साथ उचित जुर्माने के साथ देय राशि का भ्गतान करने के लिए सहमत होता है। यह अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता वैधानिक प्रावधानों के तहत या इस समझौते के तहत उधारकर्ता के खिलाफ हो सकता है। उधारकर्ता(ओं) इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई भी राशि उधारकर्ता(ओं) द्वारा भ्गतान के लिए बकाया है (समझौते के तहत किस्त नहीं है) या तो इस समझौते के तहत या किसी अन्य समझौते के तहत या उसके साथ उधारकर्ता के बकाया के खाते में या किसी भी क्षमता में ऋणदाता के साथ कोई अनुबंध, तो ऋणदाता इस तरह की बकाया राशि की संतुष्टि के लिए PDC / PM को नक़द बनाने का हकदार होगा, इस बात के बावजूद कि PDC / PM उसके साथ इस समझौते और उधारकर्ता के तहत किस्तों की अदायगी के लिए जमा किए गए हैं और उधारकर्ता(ओं) इस समझौते के तहत किस्तों के लिए ऋणदाता का आगे भी ऋणी रहेगा।

- (b) ऋणदाता अपने स्विविवेक से उधारकर्ता(ओं) को PDC/PM एकत्र किये बिना, यिद ग्राहक मासिक किश्तों को नकद में भुगतान करने के लिए वचन/ स्वीकार करता हैं या देय तिथि से पहले ऋणदाता के पंजीकृत संग्रह केन्द्रों पर बिना किसी विलम्ब या दोष के केवल ऋणदाता के विधिवत रसीद ऋण प्रदान कर सकता है। इस स्थिति में उधारकर्ता किसी भी कारण से इस समझौते के तहत देय रकम में से किसी के लिए नकद में भुगतान करने में विफल रहता है तो ऋणदाता दंडात्मक ब्याज का हकदार होगा जैसा कि प्रत्येक ऐसे विलंब /दोष के लिए अनुस्ची में निर्धारित है। यह किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता को उधारकर्ता के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत और इस समझौते के तहत भी हो सकता है।
- (c) उधारकर्ता(ओं) को इस समझौते के कुल संचयी मूल्य के लिए ऋणदाता के पक्ष में यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो तो, एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट निष्पादित करना होगा।
- (d) ऋणदाता अपने स्वविवेकाधिकार से उधारकर्ता को भुगतान के किसी वैकल्पिक मोड को अपनाने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है और उधारकर्ता(ओं) को ऐसे अनुरोधों का पालन बिना संदेह, विलम्ब या विरोध के करना होगा।
- (e) ऋणदाता अपने स्वविवेकाधिकार से, उधारकर्ता को इस समझौते के तहत देय राशि का भुगतान करने / भेजने की अनुमति आंशिक रूप से एक मोड के माध्यम से और दूसरे के माध्यम से या केवल उधारकर्ता द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर भुगतान के किसी भी वैकल्पिक मोड को अपनाने या बदलने की अनुमति दे सकता है।

Wrtrt Rtrtr eSign 22 Feb 2022 01:25:53 PM (UTC+05:30) Sign D

instrument for recovery against all the instalments due.

2.10 Foreclosure

The Borrower(s) shall be entitled to foreclose the Loan or any part thereof, to the Lender, upon the fulfillment of the following conditions:

- (a) The Borrower(s) shall be required to intimate the Lender, in writing of its intent to foreclose the Borrower's Dues or any part thereof, and request the Lender to provide a foreclosure statement. The foreclosure amount and applicable charges shall be payable by the Borrower(s) as specified in the foreclosure statement. The Option to accept foreclosure request or decline the request for is at the sole discretion of the Lender.
- (b) The foreclosure amount shall be first used to credit the overdue interest, then towards repayment of principal amount of loan and then towards other indebtedness of the Borrower to the Lender. Provided that, the Lender may however change the aforesaid sequence in its sole discretion and appropriate any payment in any manner it deems fit. If the entire amount due is not remitted then the amount so received by the Lender, may at the sole discretion of the Lender, would be treated as an advance payment of future EMI and will be adjusted to EMI month on month, as and when the EMI falls due for payment. The Borrower(s) hereby agrees that the Lender is not obliged to reverse the interest that may accrue on account of advance payment.
- (c) Post satisfactory foreclosure of the Loan, the Borrower(s) shall be entitled to request the Lender to provide necessary documents which will enable him to release the charge created over the Vehicle(s) under the terms of the Agreement, except in cases where the Lender has the right to retain security as provided elsewhere in this Agreement.

3. **SECURITY**

- (a) Vehicle Under Exclusive Hypothecation to the Lender: The Borrower(s) hereby hypothecates the Vehicle(s) in favour of the Lender together with all accessories and additions to or in the Vehicle(s), whether present or future, by way of first and exclusive charge and confirms that the Vehicle(s) carries no prior lien or charge whatsoever.
- (b) The Borrower(s) shall, within 30 days from the date of disbursement of Loan or delivery of the Vehicle, whichever is earlier, have such registered/name transferred with appropriate authority with endorsement hypothecation in the name of the Lender and further immediately submit a certified copy of the registration certificate to the Lender. Provided further that a default by the Borrower(s) to get the Registration Certificate endorsed with the name of the Lender shall not be deemed to be or construed to mean that the Vehicle has not been offered as security to the Lender. Wherever required/applicable (such as in the case of commercial vehicles / vehicles for hire), the Borrower(s) shall also obtain all necessary permission/license from the concerned authority for plying/using the Vehicle across/in the

(f) यदि उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋण बकाया हैं तो उधारकर्ता परिचालन की सुविधा के लिए ऋणदाता को सभी मासिक किस्तों के योग को संयोजित करने की अनुमति देता है, इस तरह के प्रत्येक ऋण के कारण प्रत्येक मासिक किस्त की प्रस्तुति की तिथि पर और देय सभी किस्तों के खिलाफ वसूली के लिए एक एकल उपकरण प्रस्तुत करें।

2.10 प्रतिबन्ध

उधारकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऋणदाता या उसके किसी भी हिस्से को ऋण देने के लिए हकदार दोंगे

- (a) उधारकर्ता को ऋणदाता को सूचित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से को प्रतिबंधित करने के अपने इरादे के बारे में लिखित में देना होगा और ऋणदाता से एक प्रतिबंध सम्बन्धी विवरण प्रदान करने का अनुरोध करना होगा। प्रतिबंधित राशि और लागू शुल्क उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिबंध सम्बन्धी विवरण में निर्दिष्ट किए गए देय होंगे। प्रतिबंध संबंधी अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प ऋणदाता के स्विवविकाधिकार पर है।
- प्रतिबंधित राशि का उपयोग पहले अतिदेय ब्याज को क्रेडिट करने के लिए किया जाएगा, फिर ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता पर ऋणदाता की अन्य ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में इसका उपयोग किया जायेगा। बशर्ते कि, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में पूर्वोक्त अनुक्रम में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी तरीके से जो उसे उचित लगे भुगतान कर सकता है। यदि देय पूरी राशि को वापस नहीं लिया जाता है तो ऋणदाता द्वारा प्राप्त की गई राशि, ऋणदाता के विवेकाधिकार पर, भविष्य की EMI के अग्रिम भुगतान के रूप में मानी जाएगी और EMI भुगतान की हर महीने की नियत तिथि में समायोजित की जाएगी। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता उस ब्याज को रद्द करने के लिए बाध्य नहीं है जो अग्रिम भुगतान के कारण अर्जित हो सकता है।
- (c) ऋण के संतोषजनक प्रतिबन्ध के बाद, उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता से अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह आवश्यक दस्तावेज प्रदान करे, जो उसे अनुबंध की शर्तों के तहत वाहन पर बनाए गए प्रभार को जारी करने में सक्षम करेगा, सिवाय उन मामलों में जहां ऋणदाता को इस समझौते में कहीं और प्रदान की गई सुरक्षा को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है।

जमानत (ऋणपत्र)

- (a) ऋणदाता को विशिष्ट दृष्टि बंधन के तहत प्रस्तुत वाहन: इसके तहत उधारकर्ता(ओं) वाहन को ऋणदाता के पक्ष में वर्तमान या भविष्य में प्रथम और विशेष प्रभार सहायक सामग्री के साथ दृष्टिबंधित करेगा और उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करेगा कि वाहन कोई भी पूर्वाधिकार या शुल्क को वहन नहीं करता।
- (b) उधारकर्ता(ओं) को, ऋण की संवितरण की तारीख से या वाहन की सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, पंजीकृत / नाम हस्तांतरित करवाने पड़ेगे जो उचित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ ऋणदाता के नाम

Wrtrt Rtrtr
22 Feb 2022 01:25:53 PM (UTC+05:30)

- State or area in which such Vehicle(s) is/are registered.
- (c) All security furnished by the Borrower(s) to the Lender shall remain a continuing security in favor of the Lender and the same shall be binding upon the Borrower(s). Further, the security shall be in addition to and not in derogation of any other security, which the Lender may at any time hold in respect of the Borrower's dues and shall be available to the Lender until all accounts between the Lender and Borrower(s) in respect of the Loan are ultimately settled.

4 COVENANTS OF THE BORROWER(S)

The Borrower(s) covenants with the Lender that during the tenure of the Loan:

- (a) The Loan disbursed shall be utilised for the purpose as stated by the Borrower(s) in the Application Form and for no other purpose whatsoever.
- (b) Shall punctually and regularly pay to the Lender all the sums due under this Agreement within the stipulated period without any previous demand by the Lender at its office.
- (c) Shall be exclusively responsible for getting the delivery of the Vehicle(s) from the Dealer/seller, as the case may be and the Lender shall not be liable for delay in delivery or non-delivery of the Vehicle(s), any demurrage cost or the quality condition or fitness of the Vehicle(s).
- (d) Shall keep the Vehicle(s) in sound and working condition under the Borrower(s) own possession and control.
- (e) Shall permit and allow the Lender and/or its authorized representatives at all reasonable times to inspect, view and examine the state and condition of the Vehicle(s) and the documents relating thereto and/or produce the same for Inspection to the Lender and/or its authorized representatives at the place designated by the Lender at the Borrower(s)'s cost.
- (f) Shall not undertake repairs from anyone except from authorized service center to affect the repairs, if any, to the said Vehicle(s).
- (g) Shall not change the registration number/registered address without the Lender's pervious consent in writing. The Borrower(s) hereby expressly agree that if the Borrower(s) is required to remove the Vehicle(s) from the address stated herein, the Borrower(s) must give written notice to the Lender of such intention.
- (h) Shall not use the Vehicle(s) for any improper or illegal or unlawful activities or adopt, or alter the Vehicle(s) for any act which is improper or illegal or unlawful.
- (i) Shall pay the increased amount required for acquiring the Vehicle(s) if price of the Vehicle(s) is revised upwards after the date of signing of this Agreement. The Lender shall not be liable to pay any amount by way of a loan or otherwise for such revision in price of the Vehicle(s). On failure to pay, the Borrower(s) irrevocably authorize the Lender to at its sole discretion, annul or rescind the booking of the Vehicle(s) and collect the refund of booking price

परदृष्टिबंधित रूप में हस्तांतिरत किए गए हों और फिर आगे ऋणदाता को पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति तुरंत जमा करनी पड़ेगी। आगे कहा गया है कि ऋणदाता के नाम के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा एक दोष के लिए यह माना नहीं जाएगा कि वाहन को ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में पेश नहीं किया गया है। जहां भी आवश्यक हो/ लागू हो (जैसे कि व्यावसायिक वाहनों / किराये के वाहनों के मामले में), उधारकर्ता(ओं) को राज्य या क्षेत्र में, जहाँ ऐसे वाहन पंजीकृत हैं, वाहन का उपयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से सभी आवश्यक अनुमित/ लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

(c) ऋणदाता के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता के पक्ष में साज-सामान सहित सभी सुरक्षा एक सतत सुरक्षा रहेगी और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी। इसके अलावा, सुरक्षा किसी भी अन्य सुरक्षा के साथ बिना किसी अल्पाधिकार के साथ होगी, जिसे ऋणदाता किसी भी समय उधारकर्ता के बकाया के संबंध हासिल कर सकता है और ऋणदाता और उधारकर्ता(ओं) के बीच सभी लेन-देन और ऋण के संबंध में अंत में तय किया गया हिसाब ऋणदाता के पास उपलब्ध होगा।

4 उधारकर्ता(ओं) की संविदा

ऋण के कार्यकाल के दौरान ऋणदाता के साथ उधारकर्ता(ओं) की संविदाएं:

- (a) उधार दिए गए ऋण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जैसा कि आवेदन फॉर्म में उधारकर्ता(ओं) द्वारा वर्णन किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए
- (b) उधारकर्ता को नियमित रूप से नियत समय पर ऋणदाता को उसके कार्यालय में ऋणदाता द्वारा पिछली किसी भी मांग के बिना निर्धारित अविध के भीतर इस समझौते के तहत सभी रकम का भुगतान करना होगा।
- (c) उधारकर्ता डीलर/ विक्रेता से वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे, जैसा भी मामला हो, वाहन के वितरण या विलंबित वितरण या विलंबित शुल्क लागत या वाहन की गुणवता की स्थिति या उपयुक्तता के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा।
- (d) उधारकर्ता अपने अधिकार और नियंत्रण के तहत वाहन को क्रियाशील स्थिति में रखें।
- (e) ऋणदाता और/ या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को वाहन की स्थिति और अवस्था का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी और वाहन से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ों को ऋणदाता द्वारा नियत स्थान पर उधारकर्ता(ओं) को अपने खर्च पर ऋणदाता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (f) उक्त वाहन(नों) को मरम्मत के लिए अधिकृत सेवा केंद्र को छोड़कर कही और से मरम्मत करवाने की अनुमति नहीं है।
- (g) बिना किसी लिखित सुचना के ऋणदाता की व्यापक सहमति के बिना पंजीकरण संख्या/ पंजीकृत पते बदलने की अनुमति नहीं होगी। उधारकर्ता(ओं) को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होना पड़ेगा कि यदि उधारकर्ता को निर्दिष्ट वाहन के पते को बदलने की आवश्यकता है, तो

- of the Vehicle(s) from the manufacturer there of or its Dealer.
- (j) Shall inform the Lender in writing if the Vehicle(s) is stolen, destroyed, burnt, damaged or any distress or other proceeding is initiated against the Vehicle(s), within 3 working days. The Borrower(s) shall immediately inform the Lender in writing, of lodging of any claims with the insurance company in respect of the Vehicle(s). The Borrower acknowledges that the Lender shall have a paramount lien and right of set off on/against all insurance proceeds whatsoever from the Vehicle and / or additional security(s).
- (k) Shall inform the Lender of any loss, destruction or misplacement of all/any of the documents required for running the Vehicle(s) like registration certificate, insurance policy, permit, fitness certificate etc. within three working days of such loss, destruction or misplacement.
- (I) Shall be liable to make good all payment and expenses including legal costs, fees, and costs to take possession, insurance and selling of the Vehicle when incurred by the Lender. The Borrower(s) shall also be liable for the expenses incurred by the Lender, along with interest while pursuing any remedy under the Negotiable Instruments Act, Criminal Procedure Code, Code of Civil Procedure or at any other forum.
- (m) The Borrower(s) authorizes the Lender to, without notice to or without any consent of the Borrower(s), be absolutely entitled and have full right, power and authority to make disclosure of any information relating to Borrower(s) including personal information, details in relation to documents, Loan, defaults, Security, obligations of Borrower, to any credit information company, and/or any other governmental/regulatory/statutory or agency/entity, credit bureau, RBI, the Lender's other branches/subsidiaries/ affiliates/rating agencies, service providers, other banks/financial institutions, any third parties, any assignees/potential assignees or transferees, who may need the information and may process the information, publish in such manner and through such medium as may be deemed necessary by the publisher/Lender, including publishing the name as part of willful defaulter's list from time to time, as also use for KYC information verification, credit risk analysis, or for other related purposes. In this connection, the Borrower(s) waives the privilege of privacy and privity of contract.
- (n) Shall if so desires request in writing to the Lender to reschedule the Loan and the Lender shall at its sole discretion accept or reject the request of the Borrower(s).
- (o) The Borrower(s) shall take consent from Lender if the Vehicle and / or additional security is/are proposed to be removed/taken outside the territorial borders of the state in which the Vehicle is registered or removed/taken out of the address/location as specified on a permanent basis or for a continuous period of more than 60 (sixty) days.

- उधारकर्ता(ओं) को इसके लिए ऋणदाता को लिखित नोटिस देना होगा।
- (h) किसी भी अनुचित या अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए वाहन(नों) का उपयोग न करें या किसी भी अनुचित, अवैध या गैरकानूनी वाहन को परिवर्तित कर दें।
- (i) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि के बाद यिद वाहन की कीमत ऊपर की ओर संशोधित है तो वाहन(नों) प्राप्त करने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना होगा। ऋणदाता ऋण के माध्यम से या अन्यथा वाहन की कीमत में इस तरह के संशोधन के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता अपने विवेक से, अपने वाहन की बुकिंग को रद्द करने या या निर्माता से वाहन के बुकिंग मूल्य का रिफंड एकत्र करने के लिए ऋणदाता को पूरी तरह से अधिकृत करता है।
- (j) वाहन के चोरी होने, नष्ट होने, जल जाने, क्षितिग्रस्त हो जाने या कोई अन्य संकट या अन्य कार्यवाही वाहन के विरुद्ध, ऋणदाता को 3 दिनों के भीतर लिखित में सूचित करें। उधारकर्ता(ओं) को वाहन(नों) के संबंध में बीमा कंपनी के साथ किसी भी दावे को दर्ज करने के लिए ऋणदाता को तुरंत लिखित में सूचित करना होगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता के पास एक सर्वोपिर ग्रहणाधिकार होगा और वाहन से और/ या अतिरिक्त सुरक्षा (सभी) के लिए सभी बीमा आय के खिलाफ समंजन का अधिकार
- (k) तीन कार्य दिवसों के भीतर वाहन चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, बीमा पॉलिसी, अनुज्ञा-पत्र, उपयुक्तता प्रमाणपत्र आदि जैसे सभी दस्तावेजों में से किसी भी नुकसान, विनाश या विस्थापन के सन्दर्भ में ऋणदाता को स्चित करना होगा। वाहन के क़ानूनी लागत, शुल्क, वाहन को अधिकार, बीमा और विक्रय सहित ऋणदाता द्वारा व्यय किये गये सभी भुगतानों और खर्चों के लाभ के लिए ऋणदाता उत्तरदायी होगा। ऋणदाता द्वारा किए गए खर्चों के लिए साथ ही विनिमेय लिखत अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य बाज़ार में ब्याज के साथ किसी भी उपाय का पालन करने के लिए उधारकर्ता(ओं) भी उत्तरदायी होगा।

(1)

उधारकर्ता(ओं) बिना किसी नोटिस के या बिना उधारकर्ता की सहमति के ऋणदाता को प्राधिकृत करते हैं कि उनके पास उधारकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने का पूर्ण शक्ति और अधिकार है जिसमें किसी भी क्रेडिट सूचना कंपनी को दस्तावेजों, ऋण, चूक, स्रक्षा, उधारकर्ता के दायित्वों और/ या किसी अन्य सरकारी/ नियामक/ वैधानिक या निजी एजेंसी/ इकाई, क्रेडिट ब्यूरो, आरबीआई, ऋणदाता की अन्य शाखाओं/ सहायक कंपनियों के संबंध में विवरण/ सहयोगी/ रेटिंग एजेंसियां, सेवा प्रदाता, अन्य बैंक/ वितीय संस्थान, कोई भी तृतीय पक्ष, कोई भी असाइनमेंट/ संभावित असाइनमेंट या ट्रांसफ़ेरेस, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है और व्यक्तिगत जानकारी के साथ सूचना को संसाधित और प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशक/ ऋणदाता द्वारा आवश्यक, समय-समय पर विलफ्ल डिफॉल्टर की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना, जैसा कि KYC

- (p) The Borrower(s) shall keep the Vehicle(s) insured, under comprehensive insurance policy with an insurance company approved by the Lender or otherwise, against any loss or damage by accident, theft, fire riots, civil commotion, floods and unlimited third Party liability risks during the operation of this Agreement and hereafter until repayment of all amounts due to the Lender. The insurance policy shall be in the name of the Borrower(s) with the necessary endorsement in favor of the Lender as "Loss Payee".
- (q) The Borrower(s) acknowledges that if after repayment by the Borrower(s) of the Borrower's Dues, there are any outstanding amounts due by the Borrower(s) under any other instrument availed of by the Borrower(s) from the Lender or any of its group companies by the Borrower(s) in its capacity as a guarantor(s) or otherwise, then in such event, notwithstanding anything contained elsewhere in this Agreement, the Lender shall not be obliged to release the Vehicle and / or additional security created by the Borrower(s) pursuant to this Agreement and the Borrower(s) hereby agrees that the Vehicle and / or additional security shall extend to such outstanding financial facility and agrees to do all such acts, deeds and things to effect such extension. The Lender shall give seven (7) days written notice with reasons therein to the Borrower(s) prior to exercising its right to set-off
- (r) The Borrower(s) undertakes not to sell, assign, transfer, mortgage, pledge, hypothecate, charge, lien, encumber, let, or otherwise deal with, or part with the possession of the Vehicles(s) or create any interest of any third party in the same or attempt to do so, or create or allow to be created any lien upon the said Vehicle(s) whether for the repairs, supply of fuel, lubricants, tyres, tubes, spare parts or for body building or otherwise. The Borrower(s) expressly recognized and accepts that the Lender shall be absolutely entitled and have full power and authority to sell, assign or transfer in any manner, in whole or in part, all its rights and interests and in such manner and on such terms as the Lender may decide, including reserving a right of the Lender to retain its power hereunder to proceed against the Borrower(s) on behalf of the purchaser, assignee or transferee, to any third party of the Lender's choice without reference to or without written intimation of the Borrower(s).
- (s) Shall indemnify absolutely, unconditionally and at all times keep the Lender indemnified, saved defended and harmless against all claims, demands, rights, action, proceedings of whatsoever kind or nature made, taken, by any person or party and against all and any losses, damages, costs, charges, expenses and liability of any kind or nature whatsoever which the Lender may suffer, sustains, incur or be exposed to in respect of or relating to the hypothecated Vehicle(s).

5 REPRESENTATION AND WARRANTIES

5.1 REPRESENTATION BY THE BORROWER(S): The Borrower(s) hereby declares, represents and

- सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण या अन्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। अभिप्रेत उद्देश्य के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) गोपनीयता और अनुबंध की निजता के विशेषाधिकार को माफ करता है।
- (m) यदि उधारकर्ता ऋण को पुनर्निर्धारित करने के लिए ऋणदाता से लिखित रूप में अनुरोध करता है तो ऋणदाता अपने स्विववेकाधिकार से उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- यदि वाहन और/ या की अतिरिक्त सुरक्षा जिसे राज्य के (n) क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर निकालने/ ले जाने का प्रस्ताव है, जिसमें वाहन पंजीकृत है या निर्दिष्ट पता/ स्थान से निकाला गया है जैसा कि स्थायी आधार पर या 60 (साठ) दिनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए निर्दिष्ट है तो उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता से सहमति प्राप्त करनी होगी। उधारकर्ता(ओं) को वाहन को ऋणदाता की अनुमति से (o) बीमा धारक को बीमा कंपनी के साथ व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत, दुर्घटना, चोरी, आग-दंगे, नागरिक विद्रोह, बाढ़ और असीमित तीसरी पार्टी द्वारा किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ इस समझौते के संचालन के दौरान और ऋणदाता के कारण सभी राशियों का पुनर्भ्गतान होने तक बीमाकृत रखना होगा। बीमा पॉलिसी ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता के नाम पर "हानि देय" के रूप में उधारकर्ता के

नाम पर होगी।

- उधारकर्ता(ओं) को इस बात की स्वीकृति देने पड़ेगी कि उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान के बाद उधारकर्ता किसी अन्य साधन के तहत ऋणदाता से उधारकर्ता(ओं) द्वारा निर्गत है। उधारकर्ता (ओं) द्वारा अपनी समूह की कंपनियों में गारंटर(रों) के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार, अन्यथा इस तरह की घटना में, इस समझौते में कहीं भी शामिल होने के बावजूद, ऋणदाता वाहन और/ या अतिरिक्त सुरक्षा जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता (ओं) इस बात से सहमत है कि वाहन और/ या अतिरिक्त सुरक्षा ऐसी उत्कृष्ट वितीय सुविधा तक विस्तारित होगी और इस विस्तार को प्रभावित करने के लिए ऐसे सभी कार्य, दस्तावेज़ और चीजें प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।
- (q) ऋणदाता को समंजन के अधिकार का प्रयोग करने से पहले उधारकर्ता(ओं) को सात (7) दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा।
- (r) उधारकर्ता(ओं) के पास वाहन को बेचने, सौंपने, गिरवी रखने, अनुज्ञापित करने, दृष्टिबंधित करने, अधिकार करने, ग्रहणाधिकार, ऋणग्रस्त करने, ले जाने, या अन्यथा सौदा करने, या वाहनों के उत्तराधिकार वाले हिस्से या किसी के हित में काम नहीं करने या उसी में तीसरा पक्ष या ऐसा करने का प्रयास, या उक्त वाहन(नों) पर किसी भी ग्रहणाधिकार को चाहे मरम्मत, ईंधन, लुब्रिकेंट, टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति या ढांचा निर्माण के लिए या अन्यथा कुछ भी बनाने की अनुमित नहीं होगी और इस बात के लिए उधारकर्ता को एक शपथ पत्र देना होगा।
- (s) उधारकर्ता(ओं) स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से, उसके सभी अधिकारों और हितों को और इस तरह से और बेचने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा ऋणदाता के रूप

- warrants on a continuing basis that:
- (a) The Borrower(s) is aware that the Lender is granting the Loan on the basis of the Application Form furnished for purchase of/against the Vehicle and on the faith of the representations made by the Borrower(s) and believing the same to be true.
- (b) The person executing this Agreement and the documents executed in pursuance hereof, are duly and properly entitled to execute the same.
- (c) This Agreement and the documents to be executed in pursuance hereof, when executed and delivered, will constitute valid and bind obligations of the Borrower(s).
- (d) The Borrower(s) understands and agrees that signing the Agreement and other requisite documents electronically via modes permissible under law represents the Borrower(s) absolute acceptance to the terms of the Agreement and the documents. The Borrower(s) will not dispute or question the validity of the Agreement and documents executed using electronic mechanism.
- (e) There is no litigation, proceedings or disputes pending or threatened against the Borrower(s), the adverse determination of which might substantially affect the Borrower's ability to repay the Loan as described in the Schedule or have a materially adverse effect on the financial condition of the Borrower(s).
- (f) The purpose for which the Loan is taken is not illegal, speculative or nefarious.
- (g) The Borrower(s) assures that subsequent to the application there has been no material change, which would adversely affect the Lender and/or the provision of Loan by the Lender to the Borrower(s).
- (h) The Borrower(s) has paid or will pay when due, all public demands such as Income Tax, Property Taxes and all the other taxes and revenues payable to the Government of India or to the Government of any State or to any local authority and that at present there are no arrears of such taxes and revenues due and outstanding.
- (i) The Borrower(s) has disclosed/furnished all facts/information to the Lender in respect of the Loan and all information in the Application Form or in any supporting documents or otherwise howsoever is absolutely true, correct and complete in all respects and that no fact or information necessary to be furnished by the Borrower(s) has been omitted in order to induce the Lender to provide the Loan.
- (j) The Borrower(s) does not violate any covenant, conditions or stipulations under any existing agreements entered into by the Borrower(s) with any party, by availing the Loan from the Lender.
- (k) The Borrower(s) acknowledges that the Lender shall have no liability if the Vehicle(s) is distrained, destroyed beyond repair, endangered, stolen or damaged or bodily injury is caused to any third party by accident with the Vehicle(s).
- (I) The Borrower(s) confirms that the representations and warranties contained herein shall be deemed to be repeated by the Borrower(s) on and as of each day from the date of this Agreement until all sums

में तय शर्तें के अनुसार उधारकर्ता के अधिकार को बरकरार रखने के लिए, विक्रेता, असाइनमेंट या स्थानांतरण की ओर से उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए, बिना उसके संदर्भ के ऋणदाता की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार बनाए रखने के लिए उधारकर्ता(ओं) की लिखित सूचना प्रदान करेगा। पूरी तरह से, बिना शर्त और हर समय ऋणदाता को सभी दावों, मांगों, अधिकारों, कार्रवाई, किसी भी व्यक्ति या पार्टी द्वारा और किसी भी तरह से नुकसान के लिए लिया गया, बिना किसी बचाव और हानि रहित रख सकते हैं। किसी भी प्रकार या प्रकृति की क्षति, लागत, शुल्क, व्यय और देयता जो भी ऋणदाता दृष्टबंधित वाहन के संबंध में या उसके संबंध में निर्वाह या उजागर हो सकता है।

5 प्रतिनिधित्व और वारंटी

- **5.1 उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिनिधित्व**ः उधारकर्ता(ओं) इसके द्वारा निरंतर आधार पर घोषणा, प्रतिनिधित्व और वारंटः
- (a) उधारकर्ता(ओं) जानता है कि ऋणदाता आवेदन पत्र के आधार पर ऋण को वाहन खरीदने के लिए / वाहन के खिलाफ उधारकर्ता (ओं) द्वारा किए गए अभ्यावेदन के विश्वास के आधार पर और सत्य मान कर अनुदान दे रहा है।
- (b) इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति और उसके बाद में निष्पादित किए गए दस्तावेज़ विधिवत और ठीक से निष्पादित करने के हकदार हैं।
- (c) इस समझौते और उसके बाद निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों को जब निष्पादित और वितरित किया जाता है तो उधारकर्ता(ओं) के वैध और बाध्य दायित्वों का गठन होता है। उधारकर्ता (ओं) समझता है और सहमत है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने और कानून के तहत अनुमत मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उधारकर्ता (ओं) समझौते और दस्तावेजों की शर्तों के लिए पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधारकर्ता (ओं) इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का उपयोग करके निष्पादित समझौते और दस्तावेजों की वैधता पर विवाद या सवाल नहीं करेंगे।
- (d) उधारकर्ता के खिलाफ कोई न्याययिक कार्यवाही या विवाद लंबित नहीं होना चाहिए, इसका प्रतिक्ल निर्धारण अनुस्ची में बताए अनुसार उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है या वितीय स्थिति पर भौतिक रूप से प्रतिक्ल प्रभाव डाल सकता है।
- (e) अवैध, अव्यवहार्य और कुटिल उद्देश्य के लिए ऋण नहीं लिया जा सकता है।
- (f) उधारकर्ता(ओं) को इस बात का आश्वासन देना होगा कि आवेदन के बाद ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता के ऋण प्रावधान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।
- (g) उधारकर्ता को सभी सार्वजनिक मांगों जैसे कि आयकर, संपत्ति कर और अन्य सभी करों और राजस्व भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय और वर्तमान में इस तरह के करों और बकाया देय और बकाया करों का, जब देय हो, भुगतान करना होगा।
- (h) उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण के संबंध में और आवेदन पत्र में

due or owing hereunder by the Borrower(s) to the Lender have been paid in full, as if made with reference to the facts and circumstances existing on such day.

- REPRESENTATION BY THE GUARANTOR(S): The 5.2 Guarantor(s) hereby declares, represents and warrants on a continuing basis:
- (a) The payment and discharge by the Borrower(s) of the Borrower(s) liabilities under this Agreement, to
- (b) Upon the happening of any of the Events of Default as contemplated under this Agreement, the immediate payment and discharge by Borrower(s) of the Borrowers' Dues, without any demur or protest or objection of any nature
- (c) The due performance of all the terms and conditions provided under this Agreement by the Borrower(s).
- (d) Expressly agree that since his liability is coextensive/jointly with that of the Borrower(s), for the purposes of effectiveness of this Guarantee, the Guarantor(s) are also principal debtors jointly & severally with the Borrower(s) to the Lender for all dues payable under the provisions of this Guarantee.
- (e) Expressly agrees that he shall not require any proof in addition to the written demand by Lender, made in any format, raised at the mentioned address of the Guarantor(s) indicating the happening of an Event of Default due to which the guarantee has been invoked. A certificate/letter in writing signed by an officer of Lender stating the amount due, at any particular time submitted to the Guarantor(s) conclusive evidence against Guarantor(s).
- (f) Shall make payment on first demand by Lender restrictions conditions or notwithstanding any objections by the Borrower(s) or any other person.
- Expressly agrees that, this guarantee is a continuing (g) guarantee in nature and Guarantor(s) shall not be exonerated from their liability to Lender under this Guarantee under any circumstances till all the liabilities of the Borrower(s) under this Agreement are fully met against full and final & only on issuance of No Objection Certificate or No Due Certificate by the Lender to the Borrower(s).
- (h) Agrees to keep the Lender fully indemnified against all damage, losses, costs, charges and expenses (including but not limited to Attorney's fees) arising from or under or in connection with any failure of the Borrower(s) to fulfill any of its obligations under this Agreement.
- Acknowledges and agrees that the Lender shall be (i) entitled to invoke this guarantee, whether it enforces its security under the Agreement or not or takes any proceeding (legal or otherwise) against the Guarantor(s) prior to, simultaneously or subsequent to any proceeding (legal or otherwise) filed against the Borrower or any other person or entity.
- (j) Acknowledges that the Lender shall be entitled to disclose the name/s of Guarantor(s), any and all the information provided by him to the Lender under or

या किसी भी सहायक दस्तावेज में या अन्यथा किसी भी तरह से पूरी तरह से सही और पूर्ण और सभी मामलों में पूर्ण जानकारी का खुलासा /सभी तथ्यों का समायोजन/ सूचना ऋणदाता को ऋण प्रदान करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- उधारकर्ता(ओं) किसी भी पार्टी के साथ ऋणदाता द्वारा दिए (i) गए ऋणों का लाभ उठाकर मौजूदा समझौते के तहत किसी भी वचन, शर्तों या शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकता
- उधारकर्ता(ओं) को इस बात की स्वीकृति देनी होगी कि (j) किसी तीसरी पार्टी द्वारा यदि वाहन में किसी भी तरह की गड़बड़ी, चोरी या क्षतिग्रस्त या दुर्घटना के साथ वाहन के ढांचें को क्षति पहँचती है तो इसके लिए ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं होगा।
- उधारकर्ता(ओं) इस बात की पृष्टि करता है कि यहाँ प्रस्तुत (k) अभ्यावेदन और वारंटियों को इस समझौते की तिथि से प्रत्येक दिन के रूप में उधारकर्ता (ओं) द्वारा दोहराया गया माना जाएगा और जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा सभी राशि बकाया नहीं हो जाती, ऐसे दिन में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, ऋणदाता को पूर्ण भ्गतान किया गया है।
- गारंटर(ओं) द्वारा प्रतिनिधित्वः निरंतरता के आधार पर 5.2 गारंटर(ओं) की घोषणा, प्रतिनिधित्व और वारंट:
- (a) इस समझौते के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को उधारकर्ता के ऋण के भ्गतान और निर्वहन करना होगा।
- बकाया होने किसी भी घटना के होने पर, इस अनुबंध के (b) तहत, किसी भी प्रकृति के या किसी भी प्रकृति के विरोध या आपत्ति के बिना, उधारकर्ताओं के बकाया का उधारकर्ता(ओं) द्वारा तत्काल भ्गतान और निर्वहन करना
- उधारकर्ता(ओं) द्वारा इस समझौते के तहत प्रदान किए गए (c) सभी नियमों और शर्तों का उचित प्रदर्शन करना होगा।
- चूँकि इस गारंटी की प्रभावशीलता के प्रयोजनों के लिए (d) उसका दायित्व उधारकर्ता(ओं) के साथ सह-व्यापक/ संयुक्त रूप से है, इसलिए इस गारंटी के प्रावधानों के तहत देय सभी देय राशि के लिए गारंटर(रों) भी संयुक्त रूप से और उधारकर्ता के साथ गंभीर रूप से देनदार हैं।
- उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा किसी भी प्रारूप में लिखित (e) मांग के अलावा किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, गारंटर के उल्लिखित पते पर प्रस्तृत बकाया की घटना के होने का संकेत है जिसके कारण गारंटी को लागू किया गया है। गारंटीकर्ता को प्रस्तृत किसी भी विशेष समय पर देय राशि के बारे में बताते हुए ऋणदाता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र/ पत्र, गारंटर(रों) के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य होंगे।
- सभी प्रतिबंधों या शर्तों के बिना उधारकर्ता(ओं) या किसी (f) अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी आपित के बिना ऋणदाता की पहली मांग पर भुगतान करना होगा।
- (g) स्पष्ट रूप से सहमत है कि, यह गारंटी एक निरंतर प्रकृति की गारंटी है और गारंटर (रों) को किसी भी परिस्थिति में ऋणदाता के प्रति उधारकर्ता को इस गारंटी के तहत अपनी देयता से छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता(ओं) की सभी देनदारियों को पूर्ण रूप से

along with or pursuant to this guarantee, to any credit bureau/s or any other person/entities as the Lender may deem fit and the Guarantor(s) hereby agrees and undertakes not to dispute or question the same in any manner whatsoever.

- (k) Agrees that it is/will be the sole responsibility/duty of the Guarantor(s) to ensure that, all the instalments are remitted by the Borrower(s) to the Lender in time without any delay or default. No notice of demand (whether oral or written) shall be served by the Lender to Borrower(s) / Guarantor(s) to this effect and Guarantor(s) agreed to this.
- (I) Agrees that the arbitration clause provided under this Agreement fully binds the Guarantor(s) and that the Guarantor(s) is/are also bound by the award passed by the arbitrator.
- (m) This guarantee by the Guarantor(s) may be assigned/transfer by the Lender in whole or in part to any person (whether absolutely or as security) by the Lender along with the principal obligation of the Borrower(s).

6 EVENTS OF DEFAULTS

- (a) If any Instalment, or a part thereof or any other dues payable under this Agreement are in arrears and
 - payable under this Agreement are in arrears and remain unpaid after the due date for any reason whatsoever.

The term "Events of Default" shall inter alia include:

- (b) If the Borrower(s) commits breach of any of the terms, covenants and conditions herein contained or defaults in any other Agreement with the Lender or has made any misrepresentation to the Lender.
- (c) If the Borrower(s) dies, becomes insolvent /compounds with his creditors and /or permits any attachment or sequestrations or other process against any of his assets or properties.
- (d) If the Borrower(s) is convicted under any criminal law in force.
- (e) If at any time the vehicle(s) is used for any illegal or unlawful purposes or if the hypothecated Vehicle(s) is confiscated, attached, taken into custody by any official authority or any other person or made subject of any legal proceedings.
- (f) If the Borrower(s) fails to supply a copy of the registration certificate of the Vehicle(s) and/or the insurance copy with endorsement of hypothecation in the name of the Lender or fails to insure/renew the insurance of the Vehicle(s).
- (g) If there exists any other circumstance which in the sole opinion of the Lender, jeopardizes the Lender's interest or security.

7 CONSEQUENCES OF DEFAULT

- Upon the occurrence of an Event of Default, and at any time thereafter, if such event shall be continuing, without prejudice to any other rights and remedies available under law or in equity or under this Agreement, Lender may:
- (a) Recall the entire loan, including but not limited to the Borrower's Dues, and the same shall forthwith be payable by the Borrower(s) to the Lender, without any further notice to pay to the Borrower(s). In the event of failure of such payment, the Borrower shall surrender to the Lender and/or its representatives, the Vehicle(s) financed by the

- पूरा नहीं किया जाता और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को अनापत्ति प्रमाणपत्र या नो ड्यू सर्टिफिकेट अंतिम रूप से जारी नहीं कर दिया जाता।
- (h) इस अनुबंध के तहत ऋणदाता पूरी तरह से क्षित, नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय (समेत लेकिन अटार्नी की फीस तक सीमित नहीं है) के तहत या उसके अधीन किसी भी दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता(ओं) की किसी भी विफलता के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के विरुद्ध हैं।
- (i) स्वीकृत और सहमत हैं कि ऋणदाता किसी भी स्थिति में चाहे वह समझौते के तहत अपनी सुरक्षा को लागू करता है या नहीं या किसी कार्यवाही से पहले या उसके बाद गारंटर(रों) के खिलाफ कोई कार्यवाही (कानूनी या अन्यथा) करता है या एकसाथ या क्रमवार रूप से उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के खिलाफ क़ानूनी याचिका दायर कर इस गारंटी को लागू करने का हकदार होगा।
- (j) यह स्वीकृत है कि ऋणदाता गारंटीकर्ता के नाम/ नामों का खुलासा करने का हकदार होगा, उसके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, किसी भी क्रेडिट ब्यूरो या किसी अन्य व्यक्ति को इस गारंटी के साथ या उसके पीछे ऋणदाता के अनुमान के अनुसार उपयुक्त हो सकती हैं और गारंटर इसके लिए सहमत हैं और किसी भी तरह से विवाद या सवाल करने के लिए सहमत नहीं हैं। सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा किसी भी देरी या डिफ़ॉल्ट के बिना समय में ऋणदाता को सभी किस्तें की वापसी को सुनिश्चित करना गारंटर(रों) की प्रधान जिम्मेदारी/ कर्तट्य है।
- (k) सहमत हैं कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई विवाचन धारा पूरी तरह से गारंटर(रों) को संगठित करता है जिसमें गारंटर(रों) भी विवाचन द्वारा पारित अधिनिर्णय से घिरे हुए रहते हैं। गारंटर(रों) द्वारा यह गारंटी पूरी तरह से या ऋणदाता द्वारा पुर्णतः या अंशतः किसी अन्य व्यक्ति को उधारकर्ता(ओं) के प्रमुख आज्ञापत्र के साथ निर्दिष्ट / हस्तांतरित की जा सकती है।
- (I) सहमत हैं कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता खंड पूरी तरह से गारंटर (ओं) को बांधता है और यह कि गारंटर (ओं) मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार से भी बंधे हैं।
- (m) गारंटर (ओं) द्वारा यह गारंटी पूरी तरह से या उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता द्वारा दिए गए / हस्तांतरण के रूप में दी जा सकती है।

6 बकाया(डिफ़ॉल्ट) की घटनाएँ

- शब्द "बकाया(डिफ़ॉल्ट) की घटना" में अन्य बातों के साथ शामिल हैं:
- (a) यदि इस समझौते के तहत देय कोई किस्त या उसका कोई भाग या कोई अन्य देय राशि बकाया है और किसी भी कारण से नियत तिथि के बाद अभुक्त (जिनका भुगतान न हुआ हो) रहेगी।
- (b) यदि उधारकर्ता(ओं) ने नियमों, संविदाओं और शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है या ऋणदाता के लिए कोई गलत बयानी करता है तो यह ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते में निहित होगी।
- (c) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने लेनदारों के साथ दिवालिया/ मिश्रित हो जाता है और/ या अपनी

Lender or any other product of value equal to the amount payable and as approved by the Lender. Lender shall be entitled to dispose of the Vehicle(s) and any other product and adjust the proceeds against Borrower's Dues. In case of any deficit (loss on sale), the same shall be made paid by the Borrower(s) and/or Guarantor(s).

- (b) Present and encash any PM/PDC issued by the Borrower(s).
- (c) Initiate legal proceedings as per the prevailing laws of the land including Sec 138 of Negotiable Instrument Act and Sec 25 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 etc.
- (d) Take physical possession of the Vehicle(s) within 3 days of occurrence of Event of Default and dispose off the same to recover Borrower's Dues.
- (e) Appropriate the proceeds of sale of the Vehicle(s) firstly towards satisfaction of all costs, charges, Penal and Default charges incurred in respect of the loan, secondly towards payment of the balance of the interest and other sums payable by the Borrower(s) to the Lender and then towards the outstanding principal amount of the sanctioned loan or in any other sequence at its sole discretion.
- (f) Take possession of the Vehicle(s) without prejudice to any other remedy available with the Lender at any time, irrespective of whether the loan has been recalled if in the opinion of the Lender there is an apprehension of the Borrower(s) not paying any money due under this Agreement or Lender's security being jeopardized. Disclose the information of any default by the Borrower(s) to CIBIL or such other credit agency, as deemed fit by the Lender.
- (g) Disclose, publish or give such particulars of the Borrower's name or the name of its company/unit/ firm and or its directors/shareholders/ partners/ proprietors as defaulters in such manner, as the Lender or RBI in their absolute discretion, deems fit.
- (h) Borrower(s) shall indemnify the Lender against any claim by any third party with respect to the Vehicle(s) or any articles or property so disposed of as aforesaid in which such third party has or claims an interest.

8 TAKING POSSESSION AND DISPOSAL OF THE VEHICLE(S)

- (a) Upon the occurrence of an Event of Default, the Lender shall take possession of the Vehicle(s) after a verbal and/or written communication/notice to the Borrower(s) at the last available contact details with the Lender.
- (b) Upon repossession the Lender /its authorized officers/its agents shall take an inventory of the Vehicle(s) in detail.
- (c) The Lender shall give the Borrower(s) five days' notice to discharge their liability in full, including any costs incurred by the Lender on the repossession.
- (d) If the Borrower(s) fails to discharge the liability the Lender shall be entitled to sell the Vehicle(s) by a transparent process of collecting requests from intending purchasers and selling to the highest quotes received.
- (e) The Lender will continue to exercise its right to

- किसी भी संपत्ति या संपत्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का लगाव या क्रम या अन्य प्रक्रिया की अनुमति देता है।
- (d) यदि उधारकर्ता को किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है।
- (e) यदि किसी भी समय किसी गैरकानूनी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है या यदि दृष्टिबंधित वाहन किसी प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी क़ानूनी कार्यवाही का विषय बनता है।
- (f) यदि उधारकर्ता(ओं) वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति की आपूर्ति करने में विफल रहता है और/ या ऋणदाता के नाम पर दृष्टिबंधित अनुबंध के समर्थन के साथ बीमा प्रतिलिपि या वाहन का बीमा/ नवीनीकरण करने में विफल रहता है।
- (g) यदि कोई ऐसी अन्य परिस्थिति मौजूद है, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में, ऋणदाता की रुचि या सुरक्षा को जोखिम में डालती है।

7 बकाया का परिणाम

बकाया की एक घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय अगर इस तरह की घटना जारी रहती है तो कानून या न्याय के तहत या इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार और उपचार के पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता:

- (a) पूरे ऋण को प्रत्याहरित कर सकता है जो उधारकर्ता के बकाया राशि तक सीमित नहीं है और उधारकर्ता को भुगतान करने के लिए किसी भी अन्य नोटिस के बिना ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के भुगतान की विफलता की स्थिति में उधारकर्ता को ऋणदाता और/ या उसके प्रतिनिधियों को ऋणदाता द्वारा विन्तपोषित वाहन या ऋणदाता द्वारा अनुमोदित विन्तपोषित राशि के बराबर मूल्य वाली कोई वस्तु सुपुर्द करना होगा। ऋणदाता वाहन(नों) और किसी भी अन्य उत्पाद के निपटान का हकदार होगा और उधारकर्ता के बकाया के खिलाफ आय को समायोजित करेगा। किसी भी कमी (बिक्री पर नुकसान) के मामले में, उधारकर्ता(ओं) और/ या गारंटर द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (b) उधारकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए किसी भी PM / PDC के दस्तावेजों को प्रस्तुत कर नकद बनाया जा सकता है।
- (c) प्रचलित कानूनों के अनुसार कानूनी कार्यवाही जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 आदि के अनुभाग 25 शामिल हैं।
- (d) बकाया की घटना होने के 3 दिनों के भीतर वाहन पर अधिकार और उधारकर्ता के बकाया की वस्ली के लिए उसी का निपटान।
- (e) ऋणदाता और उसके बाद अपने विवेकाधिकार पर स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि या किसी अन्य अनुक्रम में वाहन की बिक्री की आय को पहले उचित रूप से ऋण की बाबत सभी लागतों, शुल्कों, दंड और बकाया शुल्कों की संतुष्टि दूसरा उधारकर्ता के द्वारा देय ब्याज और अन्य रकम का भुगतान।
- (f) किसी भी समय, भले ही ऋण को प्रत्याहारित कर दिया गया हो, ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय के बिना वाहन(नों) पर अधिकार और उधारकर्ता द्वारा बकाया

recover the shortfall/loss on sale and take appropriate legal recourse.

9 ARBITRATION

Any and all disputes, difference and/or claims arising out of/ or in connection with this Agreement or its performance shall be settled by Arbitration to be held in Pune, in accordance with the provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996, or any statutory amendments thereof and shall be referred to the sole Arbitrator appointed by the Lender. The proceedings shall be in English and the place of proceedings shall be at Pune, Maharashtra. The Award given by the Arbitrator shall be final and binding on all the parties concerned. Pending the passing of the final award, Borrower(s)/Guarantor(s) shall be liable to perform all its obligations under this Agreement. Nothing contained herein shall be construed extinguishing, limiting or ousting the rights and remedies of the Lender, if available now or in the future as against the Borrower(s)/Guarantor(s) and/or any other persons, or any of its respective assets, under any other applicable Act, Laws and Regulations, and the Lender shall stand absolutely entitled to exercise such rights/remedies thereunder irrespective of the initiation, pendency, continuation of any arbitral or other proceedings.

10 MISCELLANEOUS PROVISIONS

- (a) The Statement of account of the Lender, duly certified by its authorized officer, shall be conclusive evidence of amount due to the Lender and of payments received by the Lender. Credit for payments made by the Borrower(s) to the Lender will be given only on realization.
- (b) Service of Notice: Any notice or request required or permitted to be given or made under this Lender Agreement to Borrower(s)/Guarantor(s) shall be given in writing in English language and/or vernacular language. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand, mail, post, courier or registered email to the Party to which it is required or permitted to be given at such Party's last available contact address. In case of any change of address/contact number/email id of the Borrower(s)/Guarantor(s), for the same to be effective, they must give a prior express written intimation of the same of at least (fifteen) days to the Lender. notice/communications to Borrower(s)/Guarantor(s) may also be given/ sent to the Borrower(s) by the Lender by way of sms to their mobile number registered with the Company. Any notice to the Borrower shall be deemed to have delivered and served upon Borrower(s)/Guarantor(s) fully in case of hand delivery when actually delivered, in case of email or sms when sent by the sender, in case of mail or post or courier within 3 (three) days of dispatch of such notice.
- (c) If at any time any right or provision set forth in this Agreement is or becomes invalid or unenforceable under the law, it is agreed that the remainder of the

राशि के भुगतान न करने की स्थिति में चाहे ऋणदाता की राय में कोई उधारकर्ता की आशंका हो या नहीं। ऋणदाता की उपयुक्ततानुसार CIBIL या ऐसी किसी अन्य क्रेडिट एजेंसी को उधारकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी बकाया की जानकारी का खुलासा।

- (g) उधारकर्ता के नाम या उसकी कंपनी/ इकाई/ फर्म और उसके निदेशकों/ शेयरधारकों/ साझेदारों/ प्रोप्राइटरों, जो इस तरह से डिफॉल्टरों के रूप में हैं, ऋणदाता या RBI के पूर्ण विवेक से उपयुक्त, विवरणों को प्रकट और प्रकाशित किया जा सकता है।
- (h) उधारकर्ता(ओं) किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा वाहन(नों) या किसी भी वस्तु या संपत्ति के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ ऋणदाता की बीमा करवायेंगे जैसा कि उपर्युक्त के रूप में निपटाया गया है जिसमें इस तरह के तीसरे पक्ष ने ब्याज का दावा किया है।

8 वाहन(नों) का अधिकार और निपटारा

- (a) बकाया की एक घटना के होने पर, ऋणदाता उधारकर्ता के साथ अंतिम उपलब्ध संपर्क विवरणों में मौखिक और/या लिखित सूचना /नोटिस के आधार पर वाहन(नों)का अधिकारी होगा।
- (b) ऋणदाता / उसके प्राधिकृत अधिकारियों / उसके एजेंटों के प्रत्यावर्तन पर वाहन की एक सूची को विस्तार से लिया जाएगा।
- (c) ऋणदाता उधारकर्ता को पूर्ण रूप से अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए पांच दिनों का नोटिस देगा, जिसमें ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान पर की गई कोई भी लागत शामिल होगी।
- (d) यदि उधारकर्ता देयता का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता वाहन खरीदने (बेचने) के लिए इच्छुक खरीदारों से अनुरोध एकत्र करने और प्राप्त उच्चतम अवतरणों को एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा बेचने का हकदार होगा।
- (e) ऋणदाता बिक्री पर कमी/ हानि की क्षतिपूर्ति करने और उचित कानूनी सहारा लेने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेगा।

9 विवाचन

किसी भी और सभी विवादों, अंतर और/ या इस समझौते या उसके प्रदर्शन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले दावों को किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार पुणे में विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 के तहत होने वाले विवाचन द्वारा सुलझाया जाएगा जिसमें संशोधन और ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचन को संदर्भित किया जाएगा।कार्यवाही अंग्रेजी में होगी और कार्यवाही का स्थान पुणे, महाराष्ट्र में होगा। विवाचक द्वारा दिया गया अधिनिर्णय अंतिम और संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। अंतिम अधिनिर्णय पारित होने के बाद उधारकर्ता(ओं) / गारंटीकर्ता इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों को निभाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो ऋणदाता के अधिकारों और उपचारों के शमन और सीमित या बाहर निकालने के रूप में माना जाएगा, यदि अभी और भविष्य में उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर और/ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ संबंधित संपत्ति, किसी भी अन्य लागू अधिनियम,

Agreement shall nevertheless be enforceable and that, to the extent permitted by law, the parties intentions, as reflected in any such right or provision that is invalid or unenforceable shall be given effect to.

- (d) Time shall be essence of this Agreement in so far as it relates to the observance or performance by the Borrower(s) of all or any of its obligations including payment of any sum hereunder.
- (e) Any delay in exercising or omission any right, power or remedy accruing to the Lender under this Agreement or any other Agreement or document shall not impair any such right, power or remedy and shall not be construed to be a waiver thereof or any acquiescence in any default, or any acquiescence in any default, affect or impair any right, power or remedy of the Lender in respect of any other default.
- (f) The Lender has framed a fair practice code as per Reserve Bank of India Regulations which is available at www.wheelsemi.com.
- (g) For any service related issue, customer can get in touch with the Lender by calling customer helpline number 7770005555 or writing at customercare@wheelsemi.com
- (h) The Borrower(s)/Guarantor(s) authorize the Lender and/or its authorized representatives and/or its agents and service providers to call the Borrower(s)/Guarantor(s) at the available contact number for loan processing and providing related services during the loan tenure.
- (i) The Lender shall give a notice to the Borrower(s) in English language / vernacular language of any change in the terms and conditions including disbursement schedule, interest rates, service charges, etc. Lender agrees that any change in interest rates and charges, if applicable, are affected only prospectively. If required, a separate addendum to the loan agreement may be executed by the parties.
- (j) This Agreement shall be subject of the exclusive jurisdiction of the Courts of Pune, Maharashtra.
- (k) The Agreement, Schedule and other documents annexed hereto integrate all the terms and conditions and supersedes all negotiations, prior writings.
- (I) The Borrower(s)/Guarantor(s) confirm that the contents (all the terms and conditions) of this Agreement (Pg. 1 to Pg. 6) have been fully explained to the Borrower(s)/Guarantor(s) by the Lender in the English/vernacular language known to them at the time of availing the Loan and only thereafter the Borrower(s)/Guarantor(s) have put their signature/thumb impression on the page 6, of this agreement/ signed the agreement electronically In case of multiple interpretations of any part of the Agreement, English language shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF all the Parties hereto have set and subscribed their respective hands on the day, month and year first herein above written.

कानून और विनियमों के तहत उपलब्ध हो और ऋणदाता ऐसे अधिकारों/ उपायों का किसी भी विवाचन या अन्य कार्यवाही के प्रवर्तन, विचारधीनता या निरंतरता के बावजूद उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मौजूद रहेगा।

10 विविध प्रावधान

- (a) ऋणदाता के खाते का विवरण, इसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, ऋणदाता और ऋणदाता द्वारा प्राप्त भुगतानों के कारण राशि का निर्णायक प्रमाण होगा। उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को किए गए भुगतान का श्रेय केवल प्राप्ति पर दिया जाएगा।
- सूचना की सेवा: इस समझौते के तहत ऋणदाता या (b) उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अनुरोध अंग्रेजी भाषा और/ या क्षेत्रीय भाषा में लिखित रूप में दिया जायेगा। इस तरह के नोटिस या अनुरोध को उस पार्टी को विधिवत रूप से दिया या दिया गया माना जाएगा जब उसे उस पार्टी के अंतिम उपलब्ध संपर्क पते पर प्रत्यक्ष, मेल से, डाक द्वारा, क्रियर या पंजीकृत मेल से दिया गया होगा। उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के पते/मोबाइल नंबर/ ईमेल के किसी भी परिवर्तन के मामले में, प्रभावी होने के लिए उन्हें कम से कम 15 (पंद्रह) पूर्व ऋणदाता को लिखित सूचना देनी होगी। उधारकर्ता(ओं) को कोई भी नोटिस / सूचना कंपनी द्वारा पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ऋणदाता द्वारा भेजे जा सकते हैं। उधारकर्ता को किसी भी नोटिस को भेजा गया मान लिया जाएगा जब उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) को प्रत्यक्ष रूप से सौंप दिया जायेगा और ऐसे नोटिस भेजने के 3 (तीन) दिनों के भीतर मेल या पोस्ट या कूरियर प्रेषक द्वारा भेजा गया हो।
- (c) यदि किसी भी समय इस समझौते में निर्धारित कोई अधिकार या प्रावधान कानून के तहत अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो यह सहमति है कि समझौते का शेष हिस्सा लागू करने योग्य नहीं होगा और कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, पक्ष का प्रयोजन किसी भी ऐसे सही या प्रावधान में परिलक्षित होता है जो अमान्य या अप्रवर्तनीय है, को प्रभावी कर दिया जाएगा।
- (d) समय इस समझौते का सार होगा जो किसी भी राशि के भुगतान सहित सभी या इसके दायित्वों के उधारकर्ता(ओं) द्वारा पालन या प्रदर्शन से संबंधित है।
- (e) इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत ऋणदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शिक्त या उपाय का प्रयोग करने या चूकने में किसी भी तरह का विलम्ब, इस तरह के किसी अधिकार, शिक्त या उपाय को बाधित नहीं करेगा और इसके लिए किसी भी तरह से छूट या किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बकाया या बकाया के सम्बन्ध में किसी भी परिचितता, किसी भी अन्य बकाया के संबंध में ऋणदाता के किसी भी अधिकार, शिक्त या उपाय को प्रभावित करता है।
- (f) ऋणदाता ने भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों के अनुसार उचित व्यवहार संहिता तैयार की है जो www.wheelsemi.com पर उपलब्ध है।
- (g) किसी भी सेवा से संबंधित समस्या के लिए, ग्राहक ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 7770005555 पर कॉल करके या

Borrower Signature	
Co-borrower Signature	
Guarantor Signature	
WheelsEMI Private Limited	

- customercare@wheelsemi.com पर लिखकर ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।
- (h) उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को ऋणदाता और/ या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों और/ या उसके एजेंटों और सेवा प्रदाताओं को ऋण प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध संपर्क नंबर पर ऋण अवधी के दौरान फोन करने और संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- (i) ऋणदाता उधारकर्ता को अंग्रेजी भाषा/ क्षेत्रीय भाषा में नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव का नोटिस भेजेगा, जिसमें संवितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा शुल्क इत्यादि शामिल हैं। ऋणदाता इस बात से सहमत हैं कि यदि लागू हो तो ब्याज दरों और शुल्कों में कोई भी बदलाव, केवल संभावित रूप से प्रभावित होता है। यदि आवश्यक हो, तो पक्षों द्वारा ऋण समझौते के लिए एक अलग परिशिष्ट निष्पादित किया जा सकता है।
- (j) यह समझौता पुणे, महाराष्ट्र के न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- (k) समझौता, अनुसूची और यहाँ संलग्न अन्य दस्तावेज सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है और सभी समझौतों, पूर्व लेखों को अधिगृहीत करता है।
 - उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर (रों) इसकी पुष्टि करते हैं कि इस समझौते की सामग्री (सभी नियम और शर्तें) (पृष्ठ __1_ से पृष्ठ __6__) पूरी तरह से उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को समझाया गया है। ऋण का लाभ उठाने के समय उन्हें जात अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा में ऋणदाता और उसके बाद उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) ने इस समझौते के पेज _6_ पर अपने हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

समझौते के किसी भी हिस्से की कई व्याख्याओं के मामले में, अंग्रेजी भाषा अभिभावी होगी। साक्ष्य के तौर पर यहाँ संलग्न सभी पक्षों ने उपरिलिखित प्रत्यक्ष रूप से दिन, महीने और वर्ष के हिसाब से निर्धारित किया है।

उपारपाता या हस्तादार
सह-उच्चारकर्ता का हस्ताक्षर
गारंटीकर्ता का हस्ताक्षर
व्हील्म र्दएसभार्द पादवेट लिसिटेंद

WHEELSEMI PRIVATE LIMITED

Registered office: Sham Shankuntal Heights, 3A, Modi Baug, Ganeshkhind Road, Shivajinagar, Pune - 411016 CIN No.: U65900PN1997PTC174673 www.wheelsemi.com Phone No.: 020 67097000

Date: 22/02/2022 Place: Pune City East

Schedule / Sanction Terms

Loan Account Number — 936484

	Borrower Name	WRTRT RTRTR
1	Address	WEREREWR
1	Co-borrower Name	SDSD SDSADSA
	Guarantors Name	SDSD SDSADSA
2	Dealer Name	sdvfv fgverg
	Product	Two-Wheeler
3	Make & Model	Honda CD 110 DREAM DLX BS
3	Year of Manufacture	2022
	Vehicle Registration No	To be registered and intimated to Wheels EMI
4	Amount Financed / Loan Amount	41656
5	Rate of Interest	(13.25 P.A.
6	Tenure	36 Months
	Instalment Amount (Rs.)	1617
	No of Advance Instalment's	0
	Margin Money	38150
7	Processing Fee	1250
	Stamping charges	100
	NACH & DCC charges	500
	Other charges	0
8	Repayment Mode ADM/NACH/ CASH/OTHERS	АСН
9	IRR	27
10	First Due Date	12/02/2022
10	Last Due Date	12/02/2025
11	Monthly Due Date (Every month)	12

Schedule of charges			
Late Payment Penality	Not exceeding 3% per month for the unpaid instalement + applicable taxes	Loan Foreclosure Charges	Not exceeding 3% on Principle outstanding +applicable taxes
Collection Charges	Rs. 200 Per Instance	Duplicate NOC Charges	Rs. 295 Per Instance
Statement of Account- E-mail	NIL	Legal Charges / Applicable Taxes	At Actual to be borne by borrower
Statement of Account- Print	Rs. 118 Per Instance	Vehicle Repossession Charges	Rs. 30000 per bucket
Repayment mode Swap Charges	Rs. 590 Per Instance	Repossessed Vehicle Parking Charges	Rs. 50 per day * No. of days
Change in EMI due date Charges	Rs. 590 Per Instance	Registration / Title Transfer/ Hypothecation	To be done by the Borrower immediately after disbursement of Loan
Bounce Charges	Up to Rs. 531 Per Instance		

Above proposal & terms are subjected to standard terms and conditions of the Agreement and forms an integral part of the Agreement.

Customer Service Helpline Number-7770005555 OR Email us at: customercare@wheelsemi.com

Received, Read and Understood			
Borrower Signature	Co-borrower Signature	Guarantor Signature	WheelsEMI Private Limited Authorised Signature



VEHICLE LOAN CUM HYPOTHECATION AGREEMENT

This Agreement ("Agreement") is made at Pune City East on this 22 day of 2022

BETWEEN

WheelsEMI Private Limited, a non banking financial Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 3A, Shyam Shankuntal Heights, Modi Baug, Ganeshkhind Road, Behind Deccan Wheels Showroom, Shivajinagar, Pune - 411 016, Maharashtra, India and having its branch offices at various locations in India (herein after called the "Lender" which expression shall, unless it be repugnant to the meaning or context thereof, mean and include its successors in title and assigns) of the FIRST PART

AND

The Borrower(s) and/or the Guarantor(s) more particularly described and set out in the Schedule hereof (The expression "Borrower(s)" / "Guarantor(s)" shall, unless it be repugnant to the meaning or context thereof, mean and include, all their heirs, executors, administrators, nominees, partners, legal representatives, assigns, and all their successor in interests, as applicable) of the **SECOND PART**

The Lender is a NBFC engaged in the business of providing financial assistance for various purposes. The Borrower(s), being desirous of availing of a loan for purchase of Vehicle(s) / against Vehicle(s) from the Lender has submitted a duly filled and signed Application Form solemnly affirming as the contents in the Form being absolutely true and correct and has agreed with the Lender to enter into this Agreement. The Lender has agreed to sanction an interest-bearing loan for a certain tenure on the terms and conditions described hereunder.

1. DEFINITIONS, MEANINGS & INTERPRETATIONS

- (a) "Application Form" means, as the context may permit or require, the Application Form submitted by the Borrower(s) to the Lender for applying for and availing of the Loan/financial facility and shall include the attachments thereto.
- (b) "Borrower(s)" means the person/s first named hereinabove and who are named as such in all other Loan Terms and shall include a Co-Borrower(s), if any.
- (c) "Borrower's Dues" inter alia includes the outstanding Principal amount of the Loan, interest on the Loan, all other interest, all fees, costs, charges, expenses, taxes and all other sums whatsoever payable by the Borrower(s) to the Lender in accordance with the Loan Terms or any other subsisting instrument executed between the Borrower(s) and the Lender.
- (d) "Dealer" means a proprietorship, company or any other legal entity by whatever name called involved in the business of selling used Vehicle(s) through multiple outlets or new Vehicle(s) as authorised distributors and/or dealers of the manufacturers of

वाहन ऋण और दृष्टिबंधित करार

यह करार ("अनुबंध")	पर	
के इस दिन बनाया गया है		

के बीच

द्हील्सईएमआई प्राइवेट लिमिटेड, एक गैर बैंकिंग वितीय कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल है जिसका पंजीकृत कार्यालय 3A, शाम शकुंतल हाइट्स, मोदी बाग, गणेशखिंड रोड, डेक्कन व्हील्स शोरूम के पीछे, शिवाजीनगर, पुणे - 411 016 महाराष्ट्र, इंडिया में स्थित है और भारत में विभिन्न स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय हैं (इसमें इसके पश्वात् "ऋणदाता" कहा जाता है, जो तब तक प्रकाशन करेगा, जब तक कि यह उसके अर्थ या संदर्भ के लिए प्रतिगामी न हो, अपने उत्तराधिकारियों को अधिकार और वारिस में शामिल करें) के पहले भाग से

और

उधारकर्ता(ओं) और/या गारंटीकर्ता(ओं) को अधिक विशेष रूप से वर्णित किया गया है और अनुसूची में निर्धारित किया गया है ("उधारकर्ता(ओं)" / "गारंटीकर्ता(ओं)" का तात्पर्य, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के लिए प्रतिगामी न हो, उनके सभी वारिस, निर्वाहक, प्रशासक, नामित, साझेदार, कानूनी प्रतिनिधि, वारिस और हित में उनके सभी उत्तराधिकारियों को अधिकार और वारिस में शामिल करें, जैसा भी लागू हो) के दूसरे भाग से ऋणदाता एक एनबीएफसी है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए वितीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। उधारकर्ता(ओं) ने ऋणदाता के साथ वाहन(नों)/वाहन(नों) के विरुद्ध खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने हेत् इच्छ्क उधारकर्ताओं ने विधिवत रूप से भरे हए और हस्ताक्षर किए हुए आवेदन पत्र को पूरी तरह से सच होने के रूप में पृष्टि की है और इस समझौते में प्रवेश करने के लिए ऋणदाता के साथ सहमति व्यक्त की है। ऋणदाता ने यहां वर्णित नियम और शर्तों पर एक निश्चित अवधि के लिए ब्याज-वहन करने वाले ऋण को मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की है।

1. परिभाषाएँ, अर्थ और व्याख्याएँ

- (a) "आवेदन पत्र" का अर्थ है, जैसा भी अनुमित या आवश्यकता के सन्दर्भ में हो सकता है, ऋण/वितीय सुविधा के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा आवेदन करने और लाभ उठाने के लिए ऋणदाता(ओं) द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र और संलग्नक शामिल हैं
- (b) **"उधारकर्ता(ओं)"** का अर्थ है, उस व्यक्ति का पहला नाम जो निर्दिष्ट है और जिन्हें अन्य सभी ऋण शर्तों में नामित किया गया है और यदि कोई हो तो सह-उधारकर्ता(ओं) को शामिल किया जाएगा।
- (c) "उधारकर्ता देय राशि" में ऋण की शर्तों या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित किसी अन्य उप-साधन के अनुसार ऋण की बकाया मूल राशि, ऋण पर ब्याज, अन्य सभी ब्याज, सभी शुल्क, लागत, शुल्क, व्यय, कर और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय सभी अन्य राशि शामिल हैं।
- (d) "विक्रेता" का अर्थ है, एक मालिकाना, कंपनी या किसी भी अन्य कानूनी इकाई के द्वारा जिस भी नाम से इस्तेमाल किया गया वाहन बेचने के व्यवसाय कई बिक्रीकेन्द्रों या नए वाहन(नों) के अधिकृत वितरक और/या वाहन निर्माताओं

- the Vehicle(s) or its sales subsidiary and includes a sub-dealer.
- (e) "Due Date" means the date(s) on which any amounts in respect of the Borrower's Dues falls due for payment.
- (f) "Equated Monthly Instalment (EMI)" means the amount payable every month by the Borrower(s) to the Lender comprising of interest, or as the case may be, principal and interest calculated on the basis of monthly rests at the rate applicable as stated in the Schedule hereunder.
- (g) "INTEREST RATE" MEANS THE RATE AT WHICH THE LENDER SHALL COMPUTE AND APPLY INTEREST ON THE LOAN, AS STATED IN THE SCHEDULE HEREUNDER OR AS MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME BY THE LENDER.
- (h) "Loan" means the amount disbursed by the Lender to the Borrower(s) or to the order of the Borrower as per the terms and conditions stated in this Agreement.
- (i) "Loan Terms" refers to all written understandings including but not limited to the Application Form and this Loan Agreement in relation to, or pertaining to, the Loan as amended from time to time.
- (j) "Payment Mandate" hereinafter referred to as "PM", shall be deemed to include auto debit mandate or NACH or any e-payment modes as defined by Reserve Bank of India from time to time.
- (k) "PENAL / DEFAULT INTEREST RATE" MEANS THE RATE AT WHICH THE LENDER SHALL COMPUTE AND APPLY INTEREST ON ALL AMOUNTS NOT PAID WHEN DUE FOR PAYMENT (OR REIMBURSEMENT) BY THE BORROWER(S) TO THE LENDER, AS STATED IN THE SCHEDULE OR AS MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME BY THE LENDER.
- (I) "Post Dated Cheques" (PDC) means the cheques issued by the Borrower(s) in favour of the Lender for repayment of the Loan along with accrued interest.
- (m) "Vehicle(s)" or "Commercial Vehicle" means the Vehicle described in the Application Form, which is sought to be purchased by the Borrower(s) with the Loan amount and/or against which Loan amount has been granted by the Lender and/or that which is offered as security for securing the due repayment of the Borrower's Dues.
- (n) "RBI" means Reserve Bank of India.
- (o) "Schedule" means and includes Schedules, term sheet attached hereto and forming an integral part of this Agreement.
- (p) Interpretations: Reference to the masculine gender includes feminine and neutral gender and vice versa and singular to plural. "Parties" means the Lender, the Borrower(s) and the Guarantor referred to collectively. "includes" or "including" shall be construed without limitation. Headings are inserted for ease of reference and shall be ignored in the construction and interpretation of the Agreement.
- 2. LOAN AMOUNT, DISBURSEMENT, INTEREST, TAXES AND OTHER TERMS OF THE LOAN

2.1 Amount of the Loan

The Lender hereby agrees to lend, and the Borrower(s) hereby agrees to borrow such amount

- के विक्रेता(ओं) या इसके बिक्री सहायक और एक उप-विक्रेता भी शामिल है।
- (e) "देय तिथि" का अर्थ उस तिथि(यों) से है जिस पर भुगतान के लिए उधारकर्ता के बकाया के संबंध में राशि देने की तिथि आती है।
- (f) "मासिक किस्त (EMI)" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा हर महीने देय राशि, जिसमें ब्याज शामिल है, या अनुसूची में समायोजित और निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, मूल और ब्याज की गणना मासिक दर के आधार पर की जाती है जो लागू दर के आधार पर बताई गई है।
- (g) "ब्याज दर" का अर्थ वह दर है जिस पर ऋणदाता हिसाब लगाकर ऋण राशि पर ब्याज को संप्रयोजित करता है, जैसा कि अनुसूची में समायोजित और निर्दिष्ट या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- (h) "ऋण" का अर्थ है इस समझौते में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की गई राशि।
- (i) "ऋण की शर्तें" सभी लिखित समझौते को संदर्भित करती है, लेकिन समय-समय पर संशोधित ऋण के रूप में, आवेदन प्रपत्र और इस ऋण समझौते तक सीमित या संबंधित नहीं है।
- (j) "भुगतान आदेशपत्र" इसके बाद "PM" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित ऑटो डेबिट आदेशपत्र या किसी ई-भुगतान मोड को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।
- (k) "दंड विषयक/ दोष ब्याज दर"का अर्थ वह दर है जिस पर ऋणदाता हिसाब लगाकर उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को समय पर या जो भी लागू हो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी बकाया राशि नहीं देने पर ब्याज संप्रयोजित करता है।
- (I) "पोस्ट डेटेड चेक" (पीडीसी) का अर्थ ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा अर्जित ब्याज के साथ ऋण की चुकौती के लिए जारी किए गए चेक है।
- (m) "वाहन(ओं)" या "वाणिज्यिक वाहन" का अर्थ है वाहन जो आवेदन पत्र में वर्णित है, जिसे उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि और/या जिसके खिलाफ ऋण राशि ऋणदाता द्वारा दी गई है/ या वह जो उधारकर्ता की बकाया राशि के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया जाता है।
- (n) "RBI" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक।
- (o) "अनुसूची" का अर्थ है शामिल अनुसूची, इसके साथ ही संलग्न शर्त-पत्र जो इस अनुबंध का अभिन्न अंग हैं।
- (p) व्याख्या :पुरूष लिंग के संदर्भ में स्त्री और मध्यस्थ लिंग और विपरीतत्या और एकवचन में बहुवचन शामिल हैं। "पार्टिज" का अर्थ ऋणदाता, उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता को साम्हिक रूप से संदर्भित किया जाता है। "शामिल" या "सहित" सीमा के बिना माना जाएगा। संदर्भ की आसानी के लिए शीर्षकों को डाला जाता है और समझौते के निर्माण और व्याख्या में इसे अनदेखा कर दिया जाएगा।
- 2. ऋण राशि, छूट, ब्याज, टैक्स और ऋण के अन्य नियम
- 2.1 ऋण राशि

as is set out in Schedule of this Agreement on the security of the Vehicle(s) as described in the Schedule, on the terms and conditions hereinafter appearing.

2.2 Disbursement of the Loan

- (a) The loan will be considered as disbursed when the loan amount is paid by the Lender by cheque or pay order or RTGS or NEFT or any other eligible payment mode as prescribed under law, to the Borrower and/or the Dealer and/or to the seller of the Vehicle(s) and/or any other third party as requested by the Borrower(s) and approved by the Lender, in one or more multiple instalments.
- (b) In case the Borrower(s) fail to obtain the delivery of the Vehicle (against which loan is availed) from the Dealer/Broker/other party, and/or register the Vehicle(s) with the Regional Transport Office and hypothecate the Vehicle(s) in favour of the Lender within the stipulated timeline, and/or is unable to obtain a "No Dues Certificate / No Objection Certificate" for transfer of lien of the above said Vehicles from the previous financier, and/or under any other similar circumstances, the Lender will treat the above disbursed loan in the manner desirable to the Lender and the Lender reserves the right to modify the terms and conditions of the Loan at its sole discretion and intimate to Borrower(s).

2.3 Tenure of the Loan

The tenure of the Loan shall be as set out in Schedule.

2.4 Interest

- (a) The Borrower(s) shall be liable to pay interest, as per Schedule, on the Loan amount from the date of disbursement.
- (b) **COMPUTATION OF INTEREST - THE EMI COMPRISES** OF PRINCIPAL AND INTEREST CALCULATED ON THE BASIS OF RATE OF INTEREST MENTIONED IN SCHEDULE ON MONTHLY REDUCING BALANCE AND IS ROUNDED OFF AS PER RBI MASTER DIRECTIONS. INTEREST AND ANY OTHER CHARGES SHALL BE COMPUTED ON THE BASIS OF A YEAR COMPRISING MONTHS. **BORROWER(S)** 12 THE **ACKNOWLEDGES** HAS **FULLY** THAT IT UNDERSTOOD THE METHOD OF COMPUTATION AND BASIS THEREFOR.

2.5 Repayment

The Loan amount along with interest shall be repayable in instalments ("Instalment") as set out in Schedule hereto. The payment of Instalments shall commence and continue as set out in Schedule irrespective of the non/delayed delivery of the Vehicles(s). Any dispute or difference whatsoever, non-functioning of the Vehicle(s) for any reason whatsoever or delay in the settlement of insurance claim whatsoever shall not entitle the Borrower(s) to withhold or delay payment of any instalments or other dues as per this Agreement. The Borrower(s) hereby confirm having perused, understood and agreed to the Lender's method of calculating Instalments.

2.6 Taxes and other charges

ऋणदाता ऋण देने के लिए सहमत हो जाता है और उधारकर्ता(ओं) इस तरह की राशि उधार लेने के लिए सहमत होते हैं, जैसा कि इस समझौते की अनुसूची में वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार, वाहन की सुरक्षा पर निर्धारित है।

2.2 ऋण का वितरण

- (a) ऋण को ऋणदाता द्वारा चेक या भुगतान आदेश या RTGS या NEFT या कानून के तहत निर्धारित किसी अन्य उचित भुगतान मोड द्वारा उधारकर्ता को और/या विक्रेता और/ वाहन विक्रेता और/या तीसरी पार्टी को एक या एक से अधिक किस्तों में उधारकर्ता द्वारा अनुरोधित और ऋणदाता द्वारा अनुमोदित भुगतान किए जाने पर ऋण वितरण के योग्य माना जाएगा।
- (b) यदि उधारकर्ता(ओं), जो विक्रता/ दलाल / अन्य पार्टी से वाहन का वितरण प्राप्त करने में विफल रहता है, और/या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पास वाहन पंजीकृत करवाने या निर्धारित समयसीमा के भीतर ऋणदाता के पक्ष में अपने वाहन को दृष्टिबाधित करार करने में असमर्थ रहता है और/या अन्य समान परिस्थितियों के तहत पिछले वित्तपोषक से उक्त वाहनों के लेन के हस्तांतरण के लिए "अदेयता प्रमाणपत्र/अनापित प्रमाणपत्र" प्राप्त करने में असमर्थ है, तो ऋणदाता ऋणदाता के लिए उपरोक्त संवितरित ऋण का वांछनीय तरीके से प्रबंध करेगा और ऋणदाता अपने विवेकाधिकार और उधारकर्ता के सिन्नकर्ष आदान से ऋण के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.3 ऋण की अवधि

ऋण की अवधि अनुसूची में निर्धारित की जाएगी।

2.4 ब्याज

- (a) उधारकर्ता, अनुसूची के अनुसार, उधार लेने की तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (b) ब्याज की गणना-RBI के मुख्य निर्देशानुसार EMI ब्याज दर के आधार पर प्रधान राशि और ब्याज राशि को सम्मिलित करता है जो अनुसूची में वर्णित मासिक न्यून देय राशि है। ब्याज और कोई अन्य शुल्क की गणना 12 महीने के एक वर्ष के आधार पर की जाती है। उधारकर्ता इस बात की स्वीकृति देता है कि उसने गणना की विधि और आधार को पूरी तरह समझ लिया है।

2.5 भुगतान

ब्याज के साथ ऋण राशि किश्तों ("किस्त") में चुकानी होगी, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया है। किस्तों का भुगतान वाहनों की गैर / विलंबित डिलीवरी के बावजूद अनुसूची में शुरू और जारी रहेगा। कोई भी विवाद या अंतर जो भी हो, किसी भी कारण से वाहन की गैर-कार्यशीलता या बीमा दावा के निपटान में देरी जो भी हो, अनुबंधानुसार उधारकर्ता को किसी भी किश्त या अन्य देय राशि के भुगतान या देरी के भुगतान का अधिकार नहीं होगा। एतद्वारा उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि किस्तों की गणना करने के ऋणदाता के तरीके के बारे में उसने ध्यान से पढ़ा, समझा है और वह पूरी तरह से सहमत है।

2.6 कर और अन्य शुल्क

उधारकर्ता(ओं) अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता को इस

The Borrower(s) irrevocably agrees to pay to the Lender all applicable taxes and duties levied on this transaction and/or upon the Vehicle(s), service fees, legal charges, charges for collecting or attempting to collect the payments due to the Lender, charges payable on cheques deposited/PM for the payment of instalments or any other dues including returned unpaid and delayed payment charges as set out in the Schedule hereto and all other incidental charges specified by the Lender including costs, expenses, incurred or paid by the Lender or payable under any terms and conditions of this Agreement. The Borrower(s) shall also bear all the other tax, toll, duties, levies, cess etc. as may be imposed by the Central Government, State Government, judicial, quasi judicial or any municipal authorities on the Vehicle from time to time. It shall be Borrower(s) sole responsibility to provide all tax registration details and the Lender shall not be responsible for verification of the same.

2.7 Advance Instalment

The Borrower(s) shall pay to the Lender such number of Instalments as set out in Schedule in advance either at the time of the execution of this Agreement or at any time hereafter as desired by the Lender. The Borrower(s) also agrees that the Lender at its sole option without any reference to the Borrower(s) shall adjust the amount of advance Instalments against any amount due and payable by the Borrower(s). The Borrower(s) shall not be eligible for any interest on the advance Instalments.

2.8 DELAYED PAYMENT CHARGES AND PENAL / DEFAULT INTEREST

IN THE EVENT OF ANY DELAY OR DEFAULT IN THE PAYMENT OF ANY INSTALMENTS ON THE DUE DATES OR OF PAYMENT OF ANY OTHER DUES UNDER THIS AGREEMENT, THE BORROWER(S) SHALL PAY TO THE LENDER DELAYED PAYMENT CHARGES ("DELAYED CHARGES") AT THE RATE AS SET OUT IN SCHEDULE HEREUNDER. SUCH DELAYED CHARGES SHALL BE COMPUTED FROM THE RESPECTIVE DUE DATES FOR THE PAYMENT UPTO THE DATE OF REPAYMENT/REALIZATION.

2.9 Repayment Mode

The Borrower(s) shall deposit with the Lender (a) PDC/PM for the amount of Instalments and shall ensure that adequate balance is available in the bank account of which the PDC/PM have been issued. The Borrower(s) warrants that the PDC/PM will be honored on first presentation. No notice shall be given by the Lender to the Borrower(s) prior to the presentation of any of the PDC/PM. It is expressly agreed and understood that the Borrower(s) shall at no time close the bank account(s) from which the PDC/PM have been issued or issue any communication to the Lender for stopping or postponing the presentment of the said PDC/PM and the Lender will not be bound to take notice of any such communication, if issued. Strict compliance with the repayment schedule is an essential condition for the grant of the Loan. Any non-presentation of the PDC/PM due to any reason लेन-देन और/या वाहन पर सभी लागू कर और शुल्क सेवा श्ल्क, वैध श्ल्क, ऋणदाता के कारण भ्गतानों को इकट्ठा करने या एकत्र करने की देय सभी लागू करों और शुल्कों का भुगतान, अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं और ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट सभी अन्य आकस्मिक श्रूक, जिसमें लागत, व्यय, वेतन या भुगतान किस्तों के भुगतान के लिए जमा/ PM पर दिए गए चेक पर देय शुल्क और किसी अन्य छूट सहित बकाया और विलंबित भ्गतान शुल्क शामिल हैं या अनुबंधानुसार किसी भी नियम और शर्तों के अधीन देय है। उधारकर्ता(ओं) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायिक, अर्ध न्यायिक या किसी भी नगरपालिका अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वाहन पर लगाए गए अन्य सभी कर, टोल, शुल्क, आरोपित राशि, उपकर आदि भी वहन करने होंगे। सभी कर पंजीकरण विवरण प्रदान करना उधारकर्ता(ओं) की स्वयं जिम्मेदारी होगी और ऋणदाता उसके सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

2.7 अग्रिम किस्त

उधारकर्ता(ओं) ऋणदाता को इस समझौते के निष्पादन के समय या अग्रिम में ऋणदाता द्वारा वांछित किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित की गई किश्तों की संख्या का भुगतान करेंगे। उधारकर्ता (ओं) को इससे सहमत होना पड़ेगा कि किसी भी संदर्भ के बिना अपने एकमात्र विकल्प पर ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय किसी भी राशि के खिलाफ अग्रिम किस्तों की राशि को समायोजित करेगा। उधारकर्ता(ओं) अग्रिम किस्तों पर किसी भी ब्याज के लिए वांछनीय नहीं होंगे।

2.8 विलंबित भुगतान शुल्क और दंड विषयक / दोष ब्याज

इस अनुबंध के अधीन देय तिथि या अन्य देय के किसी भी किस्त के भुगतान में किसी भी तरह के विलम्ब या दोष की घटना की स्थिति में, उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता को अनुसूची में निर्दिष्ट दर से विलंबित भुगतान शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह के विलंबित शुल्क क्रमशः भुगतान की देय तिथि से पुनः भुगतान/प्राप्ति की तिथि तक जोड़े जायेंगे।

2.9 ऋण अदायगी प्रणाली

(a) उधारकर्ता (ओं) किश्तों की राशि के लिए ऋणदाता के PDC /PM के साथ जमा करेगा और यह स्निश्चित करेगा कि PDC / PM हेत् जारी किए गए बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो। उधारकर्ता(ओं) को इसका अनुज्ञा-पत्र देना पड़ेगा कि PDC / PM को पहली प्रस्त्ति पर सम्मानित किया जाए। PDC/ PM में से किसी की प्रस्तुति से पहले ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझा जाता है कि उधारकर्ता (ओं) किसी भी समय बैंक खाते को, जहाँ से PDC/PM निर्गत किया गया है, बंद नहीं कर सकते या उक्त PDC/PM की प्रस्तुति को रोकने या स्थगित करने के लिए ऋणदाता से कोई संपर्क नहीं कर सकते और यदि यह जारी किया जाता है, तो ऋणदाता ऐसे किसी भी सन्देश की सूचना लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऋणअदायगी अनुसूची के साथ सख्त अनुपालन ऋण के अनुदान के लिए एक आवश्यक शर्त है। किसी भी कारण से PDC/ PM की

will be not affect the liability of the Borrower(s) to pay Instalments or any other sum. The Borrower(s) agrees to replace the PDC/PM if required by the Lender. In the event of any PDC/PM given by the Borrower(s) is returned unpaid for any reason whatsoever, the borrower agrees to pay the Lender at its office or designated collection centers (by cash, digital payment or DD) the amount due together with applicable penalty immediately. This is without prejudice to any other rights or remedies that the Lender may have against the Borrower(s) under the statutory provisions or under this Agreement. The Borrower(s) agrees that if any amounts are outstanding for payment by the Borrower(s) (not being the Instalment under the Agreement) either under this Agreement or on account of Borrower's Dues in respect of or under any other agreement entered with the Lender in any capacity, the Lender shall be entitled to encash the PDC/PM deposited with it for the satisfaction of such outstanding amounts notwithstanding that the PDC/PM have been deposited with it for the repayment of the Instalments under this Agreement and the Borrower(s) shall continue to be indebted to the Lender for the Instalments under this Agreement.

- (b) The Lender at its discretion may grant loan to the Borrower(s) without collecting PDC/PM provided the customer undertakes/promises to make the payment is Cash towards monthly instalments on or before its due date at the designated collection centers of the Lender without any delay or default on receipt of valid receipt of the Lender only. In the event the Borrower(s) fail to make the payment in Cash towards any of the sums payable under this Agreement for any reason whatsoever the Lender shall be entitled to levy penal interest as set out in Schedule for each such delay/default. This is without prejudice to any other rights or remedies that the Lender may have against the Borrower(s) under the statutory provisions and also under this Agreement.
- (c) The Borrower(s) shall execute a Demand Promissory Note in favor of the Lender for total cumulative value of this Agreement, if required by the Lender.
- (d) Lender may, in its sole discretion, require the Borrower(s) to adopt or switch to any alternate mode of payment and the Borrower(s) shall comply with such request, without demur, delay or protest.
- (e) Lender may, in its sole discretion, allow the Borrower(s) to pay/remit the sum payable under this Agreement partly through one mode and partly through another or to adopt or switch to any alternate mode of payment on specific request by the Borrower(s) only.
- (f) In case the Borrower(s) has / have more than one loans outstanding, then the Borrower(s) permits the Lender for sake of operational convenience to combine the sum of all the monthly instalments, due against each of such number of Loans outstanding as on the date of presentation of each monthly instalment, and present one single

किसी भी प्रकार की गैर-प्रस्तुति उधारकर्ता(ओं) की किस्तों या किसी अन्य राशि का भ्गतान करने की देयता को प्रभावित नहीं करेगा। ऋणदाता की आवश्यकतान्सार उधारकर्ता(ओं) PDC/PM को परिवर्तित करने के लिए सहमत हो सकता है। उधारकर्ता(ओं) द्वारा दिए गए किसी भी PDC/ PM की स्थिति में, किसी भी करणवश यदि भ्गतान नहीं किया जाता है तो उधारकर्ता ऋणदाता के कार्यालय या नामित संग्रह केंद्रों (नकद, डिजिटल भ्गतान या DD द्वारा) पर एक साथ उचित जुर्माने के साथ देय राशि का भ्गतान करने के लिए सहमत होता है। यह अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता वैधानिक प्रावधानों के तहत या इस समझौते के तहत उधारकर्ता के खिलाफ हो सकता है। उधारकर्ता(ओं) इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई भी राशि उधारकर्ता(ओं) द्वारा भुगतान के लिए बकाया है (समझौते के तहत किस्त नहीं है) या तो इस समझौते के तहत या किसी अन्य समझौते के तहत या उसके साथ उधारकर्ता के बकाया के खाते में या किसी भी क्षमता में ऋणदाता के साथ कोई अनुबंध, तो ऋणदाता इस तरह की बकाया राशि की संतुष्टि के लिए PDC / PM को नक़द बनाने का हकदार होगा, इस बात के बावजूद कि PDC / PM उसके साथ इस समझौते और उधारकर्ता के तहत किस्तों की अदायगी के लिए जमा किए गए हैं और उधारकर्ता(ओं) इस समझौते के तहत किस्तों के लिए ऋणदाता का आगे भी ऋणी रहेगा।

- (b) ऋणदाता अपने स्विविवेक से उधारकर्ता(ओं) को PDC/PM एकत्र किये बिना, यिद ग्राहक मासिक किश्तों को नकद में भुगतान करने के लिए वचन/ स्वीकार करता हैं या देय तिथि से पहले ऋणदाता के पंजीकृत संग्रह केन्द्रों पर बिना किसी विलम्ब या दोष के केवल ऋणदाता के विधिवत रसीद ऋण प्रदान कर सकता है। इस स्थिति में उधारकर्ता किसी भी कारण से इस समझौते के तहत देय रकम में से किसी के लिए नकद में भुगतान करने में विफल रहता है तो ऋणदाता दंडात्मक ब्याज का हकदार होगा जैसा कि प्रत्येक ऐसे विलंब /दोष के लिए अनुस्ची में निर्धारित है। यह किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता को उधारकर्ता के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत और इस समझौते के तहत भी हो सकता है।
- (c) उधारकर्ता(ओं) को इस समझौते के कुल संचयी मूल्य के लिए ऋणदाता के पक्ष में यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो तो, एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट निष्पादित करना होगा।
- (d) ऋणदाता अपने स्वविवेकाधिकार से उधारकर्ता को भुगतान के किसी वैकल्पिक मोड को अपनाने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है और उधारकर्ता(ओं) को ऐसे अनुरोधों का पालन बिना संदेह, विलम्ब या विरोध के करना होगा।
- (e) ऋणदाता अपने स्वविवेकाधिकार से, उधारकर्ता को इस समझौते के तहत देय राशि का भुगतान करने / भेजने की अनुमति आंशिक रूप से एक मोड के माध्यम से और दूसरे के माध्यम से या केवल उधारकर्ता द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर भुगतान के किसी भी वैकल्पिक मोड को अपनाने या बदलने की अनुमति दे सकता है।

instrument for recovery against all the instalments due.

2.10 Foreclosure

The Borrower(s) shall be entitled to foreclose the Loan or any part thereof, to the Lender, upon the fulfillment of the following conditions:

- (a) The Borrower(s) shall be required to intimate the Lender, in writing of its intent to foreclose the Borrower's Dues or any part thereof, and request the Lender to provide a foreclosure statement. The foreclosure amount and applicable charges shall be payable by the Borrower(s) as specified in the foreclosure statement. The Option to accept foreclosure request or decline the request for is at the sole discretion of the Lender.
- (b) The foreclosure amount shall be first used to credit the overdue interest, then towards repayment of principal amount of loan and then towards other indebtedness of the Borrower to the Lender. Provided that, the Lender may however change the aforesaid sequence in its sole discretion and appropriate any payment in any manner it deems fit. If the entire amount due is not remitted then the amount so received by the Lender, may at the sole discretion of the Lender, would be treated as an advance payment of future EMI and will be adjusted to EMI month on month, as and when the EMI falls due for payment. The Borrower(s) hereby agrees that the Lender is not obliged to reverse the interest that may accrue on account of advance payment.
- (c) Post satisfactory foreclosure of the Loan, the Borrower(s) shall be entitled to request the Lender to provide necessary documents which will enable him to release the charge created over the Vehicle(s) under the terms of the Agreement, except in cases where the Lender has the right to retain security as provided elsewhere in this Agreement.

3. **SECURITY**

- (a) Vehicle Under Exclusive Hypothecation to the Lender: The Borrower(s) hereby hypothecates the Vehicle(s) in favour of the Lender together with all accessories and additions to or in the Vehicle(s), whether present or future, by way of first and exclusive charge and confirms that the Vehicle(s) carries no prior lien or charge whatsoever.
- (b) The Borrower(s) shall, within 30 days from the date of disbursement of Loan or delivery of the Vehicle, whichever is earlier, have such registered/name transferred with appropriate registering authority with endorsement hypothecation in the name of the Lender and further immediately submit a certified copy of the registration certificate to the Lender. Provided further that a default by the Borrower(s) to get the Registration Certificate endorsed with the name of the Lender shall not be deemed to be or construed to mean that the Vehicle has not been offered as security to the Lender. Wherever required/applicable (such as in the case of commercial vehicles / vehicles for hire), the Borrower(s) shall also obtain all necessary permission/license from the concerned authority for plying/using the Vehicle across/in the

(f) यदि उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋण बकाया हैं तो उधारकर्ता परिचालन की सुविधा के लिए ऋणदाता को सभी मासिक किस्तों के योग को संयोजित करने की अनुमति देता है, इस तरह के प्रत्येक ऋण के कारण प्रत्येक मासिक किस्त की प्रस्तुति की तिथि पर और देय सभी किस्तों के खिलाफ वसूली के लिए एक एकल उपकरण प्रस्तुत करें।

2.10 प्रतिबन्ध

उधारकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऋणदाता या उसके किसी भी हिस्से को ऋण देने के लिए हकदार होंगे:

- (a) उधारकर्ता को ऋणदाता को स्चित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से को प्रतिबंधित करने के अपने इरादे के बारे में लिखित में देना होगा और ऋणदाता से एक प्रतिबंध सम्बन्धी विवरण प्रदान करने का अनुरोध करना होगा। प्रतिबंधित राशि और लागू शुल्क उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिबंध सम्बन्धी विवरण में निर्दिष्ट किए गए देय होंगे। प्रतिबंध संबंधी अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प ऋणदाता के स्विववेकाधिकार पर है।
- (b) प्रतिबंधित राशि का उपयोग पहले अतिदेय ब्याज को क्रेडिट करने के लिए किया जाएगा, फिर ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता पर ऋणदाता की अन्य ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में इसका उपयोग किया जायेगा। बशर्ते कि, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में पूर्वोक्त अनुक्रम में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी तरीके से जो उसे उचित लगे भुगतान कर सकता है। यदि देय पूरी राशि को वापस नहीं लिया जाता है तो ऋणदाता द्वारा प्राप्त की गई राशि, ऋणदाता के विवेकाधिकार पर, भविष्य की EMI के अग्रिम भुगतान के रूप में मानी जाएगी और EMI भुगतान की हर महीने की नियत तिथि में समायोजित की जाएगी। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता उस ब्याज को रद्द करने के लिए बाध्य नहीं है जो अग्रिम भुगतान के कारण अर्जित हो सकता है।
- (c) ऋण के संतोषजनक प्रतिबन्ध के बाद, उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता से अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह आवश्यक दस्तावेज प्रदान करे, जो उसे अनुबंध की शर्तों के तहत वाहन पर बनाए गए प्रभार को जारी करने में सक्षम करेगा, सिवाय उन मामलों में जहां ऋणदाता को इस समझौते में कहीं और प्रदान की गई सुरक्षा को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है।

जमानत (ऋणपत्र)

- (a) ऋणदाता को विशिष्ट दृष्टि बंधन के तहत प्रस्तुत वाहन: इसके तहत उधारकर्ता(ओं) वाहन को ऋणदाता के पक्ष में वर्तमान या भविष्य में प्रथम और विशेष प्रभार सहायक सामग्री के साथ दृष्टिबंधित करेगा और उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करेगा कि वाहन कोई भी पूर्वाधिकार या शुल्क को वहन नहीं करता।
- (b) उधारकर्ता(ओं) को, ऋण की संवितरण की तारीख से या वाहन की सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, पंजीकृत / नाम हस्तांतरित करवाने पड़ेगे जो उचित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ ऋणदाता के नाम

- State or area in which such Vehicle(s) is/are registered.
- (c) All security furnished by the Borrower(s) to the Lender shall remain a continuing security in favor of the Lender and the same shall be binding upon the Borrower(s). Further, the security shall be in addition to and not in derogation of any other security, which the Lender may at any time hold in respect of the Borrower's dues and shall be available to the Lender until all accounts between the Lender and Borrower(s) in respect of the Loan are ultimately settled.

4 COVENANTS OF THE BORROWER(S)

The Borrower(s) covenants with the Lender that during the tenure of the Loan:

- (a) The Loan disbursed shall be utilised for the purpose as stated by the Borrower(s) in the Application Form and for no other purpose whatsoever.
- (b) Shall punctually and regularly pay to the Lender all the sums due under this Agreement within the stipulated period without any previous demand by the Lender at its office.
- (c) Shall be exclusively responsible for getting the delivery of the Vehicle(s) from the Dealer/seller, as the case may be and the Lender shall not be liable for delay in delivery or non-delivery of the Vehicle(s), any demurrage cost or the quality condition or fitness of the Vehicle(s).
- (d) Shall keep the Vehicle(s) in sound and working condition under the Borrower(s) own possession and control.
- (e) Shall permit and allow the Lender and/or its authorized representatives at all reasonable times to inspect, view and examine the state and condition of the Vehicle(s) and the documents relating thereto and/or produce the same for Inspection to the Lender and/or its authorized representatives at the place designated by the Lender at the Borrower(s)'s cost.
- (f) Shall not undertake repairs from anyone except from authorized service center to affect the repairs, if any, to the said Vehicle(s).
- (g) Shall not change the registration number/registered address without the Lender's pervious consent in writing. The Borrower(s) hereby expressly agree that if the Borrower(s) is required to remove the Vehicle(s) from the address stated herein, the Borrower(s) must give written notice to the Lender of such intention.
- (h) Shall not use the Vehicle(s) for any improper or illegal or unlawful activities or adopt, or alter the Vehicle(s) for any act which is improper or illegal or unlawful.
- (i) Shall pay the increased amount required for acquiring the Vehicle(s) if price of the Vehicle(s) is revised upwards after the date of signing of this Agreement. The Lender shall not be liable to pay any amount by way of a loan or otherwise for such revision in price of the Vehicle(s). On failure to pay, the Borrower(s) irrevocably authorize the Lender to at its sole discretion, annul or rescind the booking of the Vehicle(s) and collect the refund of booking price

परदृष्टिबंधित रूप में हस्तांतिरत किए गए हों और फिर आगे ऋणदाता को पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति तुरंत जमा करनी पड़ेगी। आगे कहा गया है कि ऋणदाता के नाम के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा एक दोष के लिए यह माना नहीं जाएगा कि वाहन को ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में पेश नहीं किया गया है। जहां भी आवश्यक हो/ लागू हो (जैसे कि व्यावसायिक वाहनों / किराये के वाहनों के मामले में), उधारकर्ता(ओं) को राज्य या क्षेत्र में, जहाँ ऐसे वाहन पंजीकृत हैं, वाहन का उपयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से सभी आवश्यक अनुमित/ लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

(c) ऋणदाता के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता के पक्ष में साज-सामान सहित सभी सुरक्षा एक सतत सुरक्षा रहेगी और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी। इसके अलावा, सुरक्षा किसी भी अन्य सुरक्षा के साथ बिना किसी अल्पाधिकार के साथ होगी, जिसे ऋणदाता किसी भी समय उधारकर्ता के बकाया के संबंध हासिल कर सकता है और ऋणदाता और उधारकर्ता(ओं) के बीच सभी लेन-देन और ऋण के संबंध में अंत में तय किया गया हिसाब ऋणदाता के पास उपलब्ध होगा।

4 🍼 उधारकर्ता(ओं) की संविदा

ऋण के कार्यकाल के दौरान ऋणदाता के साथ उधारकर्ता(ओं) की संविदाएं:

- (a) उधार दिए गए ऋण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जैसा कि आवेदन फॉर्म में उधारकर्ता(ओं) द्वारा वर्णन किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
- (b) उधारकर्ता को नियमित रूप से नियत समय पर ऋणदाता को उसके कार्यालय में ऋणदाता द्वारा पिछली किसी भी मांग के बिना निर्धारित अविध के भीतर इस समझौते के तहत सभी रकम का भुगतान करना होगा।
- (c) उधारकर्ता डीलर/ विक्रेता से वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे, जैसा भी मामला हो, वाहन के वितरण या विलंबित वितरण या विलंबित शुल्क लागत या वाहन की गुणवत्ता की स्थिति या उपयुक्तता के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा।
- (d) उधारकर्ता अपने अधिकार और नियंत्रण के तहत वाहन को क्रियाशील स्थिति में रखें।
- (e) ऋणदाता और/ या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को वाहन की स्थिति और अवस्था का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी और वाहन से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ों को ऋणदाता द्वारा नियत स्थान पर उधारकर्ता(ओं) को अपने खर्च पर ऋणदाता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (f) उक्त वाहन(नों) को मरम्मत के लिए अधिकृत सेवा केंद्र को छोड़कर कही और से मरम्मत करवाने की अनुमति नहीं है।
- (g) बिना किसी लिखित सुचना के ऋणदाता की व्यापक सहमति के बिना पंजीकरण संख्या/ पंजीकृत पते बदलने की अनुमति नहीं होगी। उधारकर्ता(ओं) को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होना पड़ेगा कि यदि उधारकर्ता को निर्दिष्ट वाहन के पते को बदलने की आवश्यकता है, तो

- of the Vehicle(s) from the manufacturer there of or its Dealer.
- (j) Shall inform the Lender in writing if the Vehicle(s) is stolen, destroyed, burnt, damaged or any distress or other proceeding is initiated against the Vehicle(s), within 3 working days. The Borrower(s) shall immediately inform the Lender in writing, of lodging of any claims with the insurance company in respect of the Vehicle(s). The Borrower acknowledges that the Lender shall have a paramount lien and right of set off on/against all insurance proceeds whatsoever from the Vehicle and / or additional security(s).
- (k) Shall inform the Lender of any loss, destruction or misplacement of all/any of the documents required for running the Vehicle(s) like registration certificate, insurance policy, permit, fitness certificate etc. within three working days of such loss, destruction or misplacement.
- (I) Shall be liable to make good all payment and expenses including legal costs, fees, and costs to take possession, insurance and selling of the Vehicle when incurred by the Lender. The Borrower(s) shall also be liable for the expenses incurred by the Lender, along with interest while pursuing any remedy under the Negotiable Instruments Act, Criminal Procedure Code, Code of Civil Procedure or at any other forum.
- (m) The Borrower(s) authorizes the Lender to, without notice to or without any consent of the Borrower(s), be absolutely entitled and have full right, power and authority to make disclosure of any information relating to Borrower(s) including personal information, details in relation to documents, Loan, defaults, Security, obligations of Borrower, to any credit information company, and/or any other governmental/regulatory/statutory or agency/entity, credit bureau, RBI, the Lender's other branches/subsidiaries/ affiliates/rating agencies, service providers, other banks/financial institutions, any third parties, any assignees/potential assignees or transferees, who may need the information and may process the information, publish in such manner and through such medium as may be deemed necessary by the publisher/Lender, including publishing the name as part of willful defaulter's list from time to time, as also use for KYC information verification, credit risk analysis, or for other related purposes. In this connection, the Borrower(s) waives the privilege of privacy and privity of contract.
- (n) Shall if so desires request in writing to the Lender to reschedule the Loan and the Lender shall at its sole discretion accept or reject the request of the Borrower(s).
- (o) The Borrower(s) shall take consent from Lender if the Vehicle and / or additional security is/are proposed to be removed/taken outside the territorial borders of the state in which the Vehicle is registered or removed/taken out of the address/location as specified on a permanent basis or for a continuous period of more than 60 (sixty) days.

- उधारकर्ता(ओं) को इसके लिए ऋणदाता को लिखित नोटिस देना होगा।
- (h) किसी भी अनुचित या अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए वाहन(नों) का उपयोग न करें या किसी भी अनुचित, अवैध या गैरकानूनी वाहन को परिवर्तित कर दें।
- (i) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि के बाद यिद वाहन की कीमत ऊपर की ओर संशोधित है तो वाहन(नों) प्राप्त करने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना होगा। ऋणदाता ऋण के माध्यम से या अन्यथा वाहन की कीमत में इस तरह के संशोधन के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता अपने विवेक से, अपने वाहन की बुकिंग को रद्द करने या या निर्माता से वाहन के बुकिंग मूल्य का रिफंड एकत्र करने के लिए ऋणदाता को पूरी तरह से अधिकृत करता है।
- (j) वाहन के चोरी होने, नष्ट होने, जल जाने, क्षितिग्रस्त हो जाने या कोई अन्य संकट या अन्य कार्यवाही वाहन के विरुद्ध, ऋणदाता को 3 दिनों के भीतर लिखित में सूचित करें। उधारकर्ता(ओं) को वाहन(नों) के संबंध में बीमा कंपनी के साथ किसी भी दावे को दर्ज करने के लिए ऋणदाता को तुरंत लिखित में सूचित करना होगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता के पास एक सर्वोपिर ग्रहणाधिकार होगा और वाहन से और/ या अतिरिक्त सुरक्षा (सभी) के लिए सभी बीमा आय के खिलाफ समंजन का अधिकार
- (k) तीन कार्य दिवसों के भीतर वाहन चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, बीमा पॉलिसी, अनुज्ञा-पत्र, उपयुक्तता प्रमाणपत्र आदि जैसे सभी दस्तावेजों में से किसी भी नुकसान, विनाश या विस्थापन के सन्दर्भ में ऋणदाता को स्चित करना होगा। वाहन के क़ानूनी लागत, शुल्क, वाहन को अधिकार, बीमा और विक्रय सहित ऋणदाता द्वारा व्यय किये गये सभी भुगतानों और खर्चों के लाभ के लिए ऋणदाता उत्तरदायी होगा। ऋणदाता द्वारा किए गए खर्चों के लिए साथ ही विनिमेय लिखत अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य बाज़ार में ब्याज के साथ किसी भी उपाय का पालन करने के लिए उधारकर्ता(ओं) भी उत्तरदायी होगा।
- (1) उधारकर्ता(ओं) बिना किसी नोटिस के या बिना उधारकर्ता की सहमति के ऋणदाता को प्राधिकृत करते हैं कि उनके पास उधारकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने का पूर्ण शक्ति और अधिकार है जिसमें किसी भी क्रेडिट सूचना कंपनी को दस्तावेजों, ऋण, चूक, स्रक्षा, उधारकर्ता के दायित्वों और/ या किसी अन्य सरकारी/ नियामक/ वैधानिक या निजी एजेंसी/ इकाई, क्रेडिट ब्यूरो, आरबीआई, ऋणदाता की अन्य शाखाओं/ सहायक कंपनियों के संबंध में विवरण/ सहयोगी/ रेटिंग एजेंसियां, सेवा प्रदाता, अन्य बैंक/ वितीय संस्थान, कोई भी तृतीय पक्ष, कोई भी असाइनमेंट/ संभावित असाइनमेंट या ट्रांसफ़ेरेस, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है और व्यक्तिगत जानकारी के साथ सूचना को संसाधित और प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशक/ ऋणदाता द्वारा आवश्यक, समय-समय पर विलफ्ल डिफॉल्टर की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना, जैसा कि KYC

- (p) The Borrower(s) shall keep the Vehicle(s) insured, under comprehensive insurance policy with an insurance company approved by the Lender or otherwise, against any loss or damage by accident, theft, fire riots, civil commotion, floods and unlimited third Party liability risks during the operation of this Agreement and hereafter until repayment of all amounts due to the Lender. The insurance policy shall be in the name of the Borrower(s) with the necessary endorsement in favor of the Lender as "Loss Payee".
- (q) The Borrower(s) acknowledges that if after repayment by the Borrower(s) of the Borrower's Dues, there are any outstanding amounts due by the Borrower(s) under any other instrument availed of by the Borrower(s) from the Lender or any of its group companies by the Borrower(s) in its capacity as a guarantor(s) or otherwise, then in such event, notwithstanding anything contained elsewhere in this Agreement, the Lender shall not be obliged to release the Vehicle and / or additional security created by the Borrower(s) pursuant to this Agreement and the Borrower(s) hereby agrees that the Vehicle and / or additional security shall extend to such outstanding financial facility and agrees to do all such acts, deeds and things to effect such extension. The Lender shall give seven (7) days written notice with reasons therein to the Borrower(s) prior to exercising its right to set-off
- (r) The Borrower(s) undertakes not to sell, assign, transfer, mortgage, pledge, hypothecate, charge, lien, encumber, let, or otherwise deal with, or part with the possession of the Vehicles(s) or create any interest of any third party in the same or attempt to do so, or create or allow to be created any lien upon the said Vehicle(s) whether for the repairs, supply of fuel, lubricants, tyres, tubes, spare parts or for body building or otherwise. The Borrower(s) expressly recognized and accepts that the Lender shall be absolutely entitled and have full power and authority to sell, assign or transfer in any manner, in whole or in part, all its rights and interests and in such manner and on such terms as the Lender may decide, including reserving a right of the Lender to retain its power hereunder to proceed against the Borrower(s) on behalf of the purchaser, assignee or transferee, to any third party of the Lender's choice without reference to or without written intimation of the Borrower(s).
- (s) Shall indemnify absolutely, unconditionally and at all times keep the Lender indemnified, saved defended and harmless against all claims, demands, rights, action, proceedings of whatsoever kind or nature made, taken, by any person or party and against all and any losses, damages, costs, charges, expenses and liability of any kind or nature whatsoever which the Lender may suffer, sustains, incur or be exposed to in respect of or relating to the hypothecated Vehicle(s).

5 REPRESENTATION AND WARRANTIES

5.1 REPRESENTATION BY THE BORROWER(S): The Borrower(s) hereby declares, represents and

- सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण या अन्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। अभिप्रेत उद्देश्य के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) गोपनीयता और अनुबंध की निजता के विशेषाधिकार को माफ करता है।
- (m) यदि उधारकर्ता ऋण को पुनर्निर्धारित करने के लिए ऋणदाता से लिखित रूप में अनुरोध करता है तो ऋणदाता अपने स्विववेकाधिकार से उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- (n) यदि वाहन और/ या की अतिरिक्त सुरक्षा जिसे राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर निकालने/ ले जाने का प्रस्ताव है, जिसमें वाहन पंजीकृत है या निर्दिष्ट पता/ स्थान से निकाला गया है जैसा कि स्थायी आधार पर या 60 (साठ) दिनों से अधिक की निरंतर अविध के लिए निर्दिष्ट है तो उधारकर्ता(ओं) को ऋणदाता से सहमति प्राप्त करनी होगी। उधारकर्ता(ओं) को वाहन को ऋणदाता की अनुमित से बीमा धारक को बीमा कंपनी के साथ व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत, दुर्घटना, चोरी, आग-दंगे, नागरिक विद्रोह, बाढ़ और असीमित तीसरी पार्टी द्वारा किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ इस समझौते के संचालन के दौरान और ऋणदाता के कारण सभी राशियों का पुनर्भुगतान होने तक बीमाकृत रखना होगा। बीमा पॉलिसी ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता के नाम पर "हानि देय" के रूप में उधारकर्ता के

नाम पर होगी।

- उधारकर्ता(ओं) को इस बात की स्वीकृति देने पड़ेगी कि उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान के बाद उधारकर्ता किसी अन्य साधन के तहत ऋणदाता से उधारकर्ता(ओं) द्वारा निर्गत है। उधारकर्ता (ओं) द्वारा अपनी समूह की कंपनियों में गारंटर(रों) के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार, अन्यथा इस तरह की घटना में, इस समझौते में कहीं भी शामिल होने के बावजूद, ऋणदाता वाहन और/ या अतिरिक्त सुरक्षा जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता (ओं) इस बात से सहमत है कि वाहन और/ या अतिरिक्त सुरक्षा ऐसी उत्कृष्ट वितीय सुविधा तक विस्तारित होगी और इस विस्तार को प्रभावित करने के लिए ऐसे सभी कार्य, दस्तावेज़ और चीजें प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।
- (q) ऋणदाता को समंजन के अधिकार का प्रयोग करने से पहले उधारकर्ता(ओं) को सात (7) दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा।
- (r) उधारकर्ता(ओं) के पास वाहन को बेचने, सौंपने, गिरवी रखने, अनुज्ञापित करने, दृष्टिबंधित करने, अधिकार करने, ग्रहणाधिकार, ऋणग्रस्त करने, ले जाने, या अन्यथा सौदा करने, या वाहनों के उत्तराधिकार वाले हिस्से या किसी के हित में काम नहीं करने या उसी में तीसरा पक्ष या ऐसा करने का प्रयास, या उक्त वाहन(नों) पर किसी भी ग्रहणाधिकार को चाहे मरम्मत, ईंधन, लुब्रिकेंट, टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति या ढांचा निर्माण के लिए या अन्यथा कुछ भी बनाने की अनुमित नहीं होगी और इस बात के लिए उधारकर्ता को एक शपथ पत्र देना होगा।
- (s) उधारकर्ता(ओं) स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से, उसके सभी अधिकारों और हितों को और इस तरह से और बेचने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा ऋणदाता के रूप

- warrants on a continuing basis that:
- (a) The Borrower(s) is aware that the Lender is granting the Loan on the basis of the Application Form furnished for purchase of/against the Vehicle and on the faith of the representations made by the Borrower(s) and believing the same to be true.
- (b) The person executing this Agreement and the documents executed in pursuance hereof, are duly and properly entitled to execute the same.
- (c) This Agreement and the documents to be executed in pursuance hereof, when executed and delivered, will constitute valid and bind obligations of the Borrower(s).
- (d) The Borrower(s) understands and agrees that signing the Agreement and other requisite documents electronically via modes permissible under law represents the Borrower(s) absolute acceptance to the terms of the Agreement and the documents. The Borrower(s) will not dispute or question the validity of the Agreement and documents executed using electronic mechanism.
- (e) There is no litigation, proceedings or disputes pending or threatened against the Borrower(s), the adverse determination of which might substantially affect the Borrower's ability to repay the Loan as described in the Schedule or have a materially adverse effect on the financial condition of the Borrower(s).
- (f) The purpose for which the Loan is taken is not illegal, speculative or nefarious.
- (g) The Borrower(s) assures that subsequent to the application there has been no material change, which would adversely affect the Lender and/or the provision of Loan by the Lender to the Borrower(s).
- (h) The Borrower(s) has paid or will pay when due, all public demands such as Income Tax, Property Taxes and all the other taxes and revenues payable to the Government of India or to the Government of any State or to any local authority and that at present there are no arrears of such taxes and revenues due and outstanding.
- (i) The Borrower(s) has disclosed/furnished all facts/information to the Lender in respect of the Loan and all information in the Application Form or in any supporting documents or otherwise howsoever is absolutely true, correct and complete in all respects and that no fact or information necessary to be furnished by the Borrower(s) has been omitted in order to induce the Lender to provide the Loan.
- (j) The Borrower(s) does not violate any covenant, conditions or stipulations under any existing agreements entered into by the Borrower(s) with any party, by availing the Loan from the Lender.
- (k) The Borrower(s) acknowledges that the Lender shall have no liability if the Vehicle(s) is distrained, destroyed beyond repair, endangered, stolen or damaged or bodily injury is caused to any third party by accident with the Vehicle(s).
- (I) The Borrower(s) confirms that the representations and warranties contained herein shall be deemed to be repeated by the Borrower(s) on and as of each day from the date of this Agreement until all sums

में तय शर्तें के अनुसार उधारकर्ता के अधिकार को बरकरार रखने के लिए, विक्रेता, असाइनमेंट या स्थानांतरण की ओर से उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए, बिना उसके संदर्भ के ऋणदाता की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार बनाए रखने के लिए उधारकर्ता(ओं) की लिखित सूचना प्रदान करेगा। पूरी तरह से, बिना शर्त और हर समय ऋणदाता को सभी दावों, मांगों, अधिकारों, कार्रवाई, किसी भी व्यक्ति या पार्टी द्वारा और किसी भी तरह से नुकसान के लिए लिया गया, बिना किसी बचाव और हानि रहित रख सकते हैं। किसी भी प्रकार या प्रकृति की क्षति, लागत, शुल्क, व्यय और देयता जो भी ऋणदाता दृष्टबंधित वाहन के संबंध में या उसके संबंध में निर्वाह या उजागर हो सकता है।

5 प्रतिनिधित्व और वारंटी

- **5.1 उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिनिधित्व**ः उधारकर्ता(ओं) इसके द्वारा निरंतर आधार पर घोषणा, प्रतिनिधित्व और वारंटः
- (a) उधारकर्ता(ओं) जानता है कि ऋणदाता आवेदन पत्र के आधार पर ऋण को वाहन खरीदने के लिए / वाहन के खिलाफ उधारकर्ता (ओं) द्वारा किए गए अभ्यावेदन के विश्वास के आधार पर और सत्य मान कर अनुदान दे रहा है।
- (b) इस समझौते को निष्पादित करने वाले व्यक्ति और उसके बाद में निष्पादित किए गए दस्तावेज़ विधिवत और ठीक से निष्पादित करने के हकदार हैं।
- (c) इस समझौते और उसके बाद निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों को जब निष्पादित और वितरित किया जाता है तो उधारकर्ता(ओं) के वैध और बाध्य दायित्वों का गठन होता है। उधारकर्ता (ओं) समझता है और सहमत है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने और कानून के तहत अनुमत मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उधारकर्ता (ओं) समझौते और दस्तावेजों की शर्तों के लिए पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधारकर्ता (ओं) इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का उपयोग करके निष्पादित समझौते और दस्तावेजों की वैधता पर विवाद या सवाल नहीं करेंगे।
- (d) उधारकर्ता के खिलाफ कोई न्याययिक कार्यवाही या विवाद लंबित नहीं होना चाहिए, इसका प्रतिकूल निर्धारण अनुसूची में बताए अनुसार उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है या वितीय स्थिति पर भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (e) अवैध, अव्यवहार्य और कुटिल उद्देश्य के लिए ऋण नहीं लिया जा सकता है।
- (f) उधारकर्ता(ओं) को इस बात का आश्वासन देना होगा कि आवेदन के बाद ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता के ऋण प्रावधान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।
- (g) उधारकर्ता को सभी सार्वजनिक मांगों जैसे कि आयकर, संपत्ति कर और अन्य सभी करों और राजस्व भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय और वर्तमान में इस तरह के करों और बकाया देय और बकाया करों का, जब देय हो, भुगतान करना होगा।
- (h) उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण के संबंध में और आवेदन पत्र में

due or owing hereunder by the Borrower(s) to the Lender have been paid in full, as if made with reference to the facts and circumstances existing on such day.

- **5.2 REPRESENTATION BY THE GUARANTOR(S):** The Guarantor(s) hereby declares, represents and warrants on a continuing basis:
- (a) The payment and discharge by the Borrower(s) of the Borrower(s) liabilities under this Agreement, to Lender.
- (b) Upon the happening of any of the Events of Default as contemplated under this Agreement, the immediate payment and discharge by the Borrower(s) of the Borrowers' Dues, without any demur or protest or objection of any nature whatsoever.
- (c) The due performance of all the terms and conditions provided under this Agreement by the Borrower(s).
- (d) Expressly agree that since his liability is coextensive/jointly with that of the Borrower(s), for the purposes of effectiveness of this Guarantee, the Guarantor(s) are also principal debtors jointly & severally with the Borrower(s) to the Lender for all dues payable under the provisions of this Guarantee.
- (e) Expressly agrees that he shall not require any proof in addition to the written demand by Lender, made in any format, raised at the mentioned address of the Guarantor(s) indicating the happening of an Event of Default due to which the guarantee has been invoked. A certificate/letter in writing signed by an officer of Lender stating the amount due, at any particular time submitted to the Guarantor(s) shall be conclusive evidence against the Guarantor(s).
- (f) Shall make payment on first demand by Lender without restrictions or conditions and notwithstanding any objections by the Borrower(s) or any other person.
- (g) Expressly agrees that, this guarantee is a continuing guarantee in nature and Guarantor(s) shall not be exonerated from their liability to Lender under this Guarantee under any circumstances till all the liabilities of the Borrower(s) under this Agreement are fully met against full and final & only on issuance of No Objection Certificate or No Due Certificate by the Lender to the Borrower(s).
- (h) Agrees to keep the Lender fully indemnified against all damage, losses, costs, charges and expenses (including but not limited to Attorney's fees) arising from or under or in connection with any failure of the Borrower(s) to fulfill any of its obligations under this Agreement.
- (i) Acknowledges and agrees that the Lender shall be entitled to invoke this guarantee, whether it enforces its security under the Agreement or not or takes any proceeding (legal or otherwise) against the Guarantor(s) prior to, simultaneously or subsequent to any proceeding (legal or otherwise) filed against the Borrower or any other person or entity.
- (j) Acknowledges that the Lender shall be entitled to disclose the name/s of Guarantor(s), any and all the information provided by him to the Lender under or

या किसी भी सहायक दस्तावेज में या अन्यथा किसी भी तरह से पूरी तरह से सही और पूर्ण और सभी मामलों में पूर्ण जानकारी का खुलासा /सभी तथ्यों का समायोजन/ सूचना ऋणदाता को ऋण प्रदान करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- (i) उधारकर्ता(ओं) किसी भी पार्टी के साथ ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों का लाभ उठाकर मौजूदा समझौते के तहत किसी भी वचन, शर्तों या शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- (j) उधारकर्ता(ओं) को इस बात की स्वीकृति देनी होगी कि किसी तीसरी पार्टी द्वारा यदि वाहन में किसी भी तरह की गड़बड़ी, चोरी या क्षतिग्रस्त या दुर्घटना के साथ वाहन के ढांचें को क्षति पहुँचती है तो इसके लिए ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं होगा।
- (k) उधारकर्ता(ओं) इस बात की पृष्टि करता है कि यहाँ प्रस्तुत अभ्यावेदन और वारंटियों को इस समझौते की तिथि से प्रत्येक दिन के रूप में उधारकर्ता (ओं) द्वारा दोहराया गया माना जाएगा और जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा सभी राशि बकाया नहीं हो जाती, ऐसे दिन में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, ऋणदाता को पूर्ण भुगतान किया गया है।
- **गारंटर(ओं) द्वारा प्रतिनिधित्व**ः निरंतरता के आधार पर गारंटर(ओं) की घोषणा, प्रतिनिधित्व और वारंटः
- (a) इस समझौते के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को उधारकर्ता के ऋण के भगतान और निर्वहन करना होगा।
- (b) बकाया होने किसी भी घटना के होने पर, इस अनुबंध के तहत, किसी भी प्रकृति के या किसी भी प्रकृति के विरोध या आपत्ति के बिना, उधारकर्ताओं के बकाया का उधारकर्ता(ओं) द्वारा तत्काल भुगतान और निर्वहन करना होगा।
- (c) उधारकर्ता(ओं) द्वारा इस समझौते के तहत प्रदान किए गए सभी नियमों और शर्तों का उचित प्रदर्शन करना होगा।
- (d) चूँिक इस गारंटी की प्रभावशीलता के प्रयोजनों के लिए उसका दायित्व उधारकर्ता(ओं) के साथ सह-व्यापक/ संयुक्त रूप से है, इसलिए इस गारंटी के प्रावधानों के तहत देय सभी देय राशि के लिए गारंटर(रों) भी संयुक्त रूप से और उधारकर्ता के साथ गंभीर रूप से देनदार हैं।
- (e) उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा किसी भी प्रारूप में लिखित मांग के अलावा किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, गारंटर के उल्लिखित पते पर प्रस्तुत बकाया की घटना के होने का संकेत है जिसके कारण गारंटी को लागू किया गया है। गारंटीकर्ता को प्रस्तुत किसी भी विशेष समय पर देय राशि के बारे में बताते हुए ऋणदाता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र/ पत्र, गारंटर(रों) के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य होंगे।
- (f) सभी प्रतिबंधों या शर्तों के बिना उधारकर्ता(ओं) या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी आपित के बिना ऋणदाता की पहली मांग पर भुगतान करना होगा।
- (g) स्पष्ट रूप से सहमत है कि, यह गारंटी एक निरंतर प्रकृति की गारंटी है और गारंटर (रों) को किसी भी परिस्थिति में ऋणदाता के प्रति उधारकर्ता को इस गारंटी के तहत अपनी देयता से छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता(ओं) की सभी देनदारियों को पूर्ण रूप से

along with or pursuant to this guarantee, to any credit bureau/s or any other person/entities as the Lender may deem fit and the Guarantor(s) hereby agrees and undertakes not to dispute or question the same in any manner whatsoever.

- (k) Agrees that it is/will be the sole responsibility/duty of the Guarantor(s) to ensure that, all the instalments are remitted by the Borrower(s) to the Lender in time without any delay or default. No notice of demand (whether oral or written) shall be served by the Lender to Borrower(s) / Guarantor(s) to this effect and Guarantor(s) agreed to this.
- Agrees that the arbitration clause provided under this Agreement fully binds the Guarantor(s) and that the Guarantor(s) is/are also bound by the award passed by the arbitrator.
- (m) This guarantee by the Guarantor(s) may be assigned/transfer by the Lender in whole or in part to any person (whether absolutely or as security) by the Lender along with the principal obligation of the Borrower(s).

6 EVENTS OF DEFAULTS

- (a) If any Instalment, or a part thereof or any other dues payable under this Agreement are in arrears and
 - remain unpaid after the due date for any reason whatsoever.

The term "Events of Default" shall inter alia include:

- (b) If the Borrower(s) commits breach of any of the terms, covenants and conditions herein contained or defaults in any other Agreement with the Lender or has made any misrepresentation to the Lender.
- (c) If the Borrower(s) dies, becomes insolvent /compounds with his creditors and /or permits any attachment or sequestrations or other process against any of his assets or properties.
- (d) If the Borrower(s) is convicted under any criminal law in force.
- (e) If at any time the vehicle(s) is used for any illegal or unlawful purposes or if the hypothecated Vehicle(s) is confiscated, attached, taken into custody by any official authority or any other person or made subject of any legal proceedings.
- (f) If the Borrower(s) fails to supply a copy of the registration certificate of the Vehicle(s) and/or the insurance copy with endorsement of hypothecation in the name of the Lender or fails to insure/renew the insurance of the Vehicle(s).
- (g) If there exists any other circumstance which in the sole opinion of the Lender, jeopardizes the Lender's interest or security.

7 CONSEQUENCES OF DEFAULT

- Upon the occurrence of an Event of Default, and at any time thereafter, if such event shall be continuing, without prejudice to any other rights and remedies available under law or in equity or under this Agreement, Lender may:
- (a) Recall the entire loan, including but not limited to the Borrower's Dues, and the same shall forthwith be payable by the Borrower(s) to the Lender, without any further notice to pay to the Borrower(s). In the event of failure of such payment, the Borrower shall surrender to the Lender and/or its representatives, the Vehicle(s) financed by the

- पूरा नहीं किया जाता और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को अनापत्ति प्रमाणपत्र या नो ड्यू सर्टिफिकेट अंतिम रूप से जारी नहीं कर दिया जाता।
- (h) इस अनुबंध के तहत ऋणदाता पूरी तरह से क्षित, नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय (समेत लेकिन अटार्नी की फीस तक सीमित नहीं है) के तहत या उसके अधीन किसी भी दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता(ओं) की किसी भी विफलता के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के विरुद्ध हैं।
- (i) स्वीकृत और सहमत हैं कि ऋणदाता किसी भी स्थिति में चाहे वह समझौते के तहत अपनी सुरक्षा को लागू करता है या नहीं या किसी कार्यवाही से पहले या उसके बाद गारंटर(रों) के खिलाफ कोई कार्यवाही (कानूनी या अन्यथा) करता है या एकसाथ या क्रमवार रूप से उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के खिलाफ क़ानूनी याचिका दायर कर इस गारंटी को लागू करने का हकदार होगा।
- (j) यह स्वीकृत है कि ऋणदाता गारंटीकर्ता के नाम/ नामों का युलासा करने का हकदार होगा, उसके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, किसी भी क्रेडिट ब्यूरो या किसी अन्य व्यक्ति को इस गारंटी के साथ या उसके पीछे ऋणदाता के अनुमान के अनुसार उपयुक्त हो सकती हैं और गारंटर इसके लिए सहमत हैं और किसी भी तरह से विवाद या सवाल करने के लिए सहमत नहीं हैं। सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा किसी भी देरी या डिफ़ॉल्ट के बिना समय में ऋणदाता को सभी किस्तें की वापसी को सुनिश्चित करना गारंटर(रों) की प्रधान जिम्मेदारी/ कर्तव्य है।
- (k) सहमत हैं कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई विवाचन धारा पूरी तरह से गारंटर(रों) को संगठित करता है जिसमें गारंटर(रों) भी विवाचन द्वारा पारित अधिनिर्णय से घिरे हुए रहते हैं। गारंटर(रों) द्वारा यह गारंटी पूरी तरह से या ऋणदाता द्वारा पुर्णतः या अंशतः किसी अन्य व्यक्ति को उधारकर्ता(ओं) के प्रमुख आज्ञापत्र के साथ निर्दिष्ट / हस्तांतरित की जा सकती है।
- (I) सहमत हैं कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता खंड पूरी तरह से गारंटर (ओं) को बांधता है और यह कि गारंटर (ओं) मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार से भी बंधे हैं।
- (m) गारंटर (ओं) द्वारा यह गारंटी पूरी तरह से या उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता द्वारा दिए गए / हस्तांतरण के रूप में दी जा सकती है।

6 बकाया(डिफ़ॉल्ट) की घटनाएँ

- शब्द "बकाया(डिफ़ॉल्ट) की घटना" में अन्य बातों के साथ शामिल हैं:
- (a) यदि इस समझौते के तहत देय कोई किस्त या उसका कोई भाग या कोई अन्य देय राशि बकाया है और किसी भी कारण से नियत तिथि के बाद अभुक्त (जिनका भुगतान न हुआ हो) रहेगी।
- (b) यदि उधारकर्ता(ओं) ने नियमों, संविदाओं और शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है या ऋणदाता के लिए कोई गलत बयानी करता है तो यह ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते में निहित होगी।
- (c) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने लेनदारों के साथ दिवालिया/ मिश्रित हो जाता है और/ या अपनी

Lender or any other product of value equal to the amount payable and as approved by the Lender. Lender shall be entitled to dispose of the Vehicle(s) and any other product and adjust the proceeds against Borrower's Dues. In case of any deficit (loss on sale), the same shall be made paid by the Borrower(s) and/or Guarantor(s).

- (b) Present and encash any PM/PDC issued by the Borrower(s).
- (c) Initiate legal proceedings as per the prevailing laws of the land including Sec 138 of Negotiable Instrument Act and Sec 25 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 etc.
- (d) Take physical possession of the Vehicle(s) within 3 days of occurrence of Event of Default and dispose off the same to recover Borrower's Dues.
- (e) Appropriate the proceeds of sale of the Vehicle(s) firstly towards satisfaction of all costs, charges, Penal and Default charges incurred in respect of the loan, secondly towards payment of the balance of the interest and other sums payable by the Borrower(s) to the Lender and then towards the outstanding principal amount of the sanctioned loan or in any other sequence at its sole discretion.
- (f) Take possession of the Vehicle(s) without prejudice to any other remedy available with the Lender at any time, irrespective of whether the loan has been recalled if in the opinion of the Lender there is an apprehension of the Borrower(s) not paying any money due under this Agreement or Lender's security being jeopardized. Disclose the information of any default by the Borrower(s) to CIBIL or such other credit agency, as deemed fit by the Lender.
- (g) Disclose, publish or give such particulars of the Borrower's name or the name of its company/unit/ firm and or its directors/shareholders/ partners/ proprietors as defaulters in such manner, as the Lender or RBI in their absolute discretion, deems fit.
- (h) Borrower(s) shall indemnify the Lender against any claim by any third party with respect to the Vehicle(s) or any articles or property so disposed of as aforesaid in which such third party has or claims an interest.

8 TAKING POSSESSION AND DISPOSAL OF THE VEHICLE(S)

- (a) Upon the occurrence of an Event of Default, the Lender shall take possession of the Vehicle(s) after a verbal and/or written communication/notice to the Borrower(s) at the last available contact details with the Lender.
- (b) Upon repossession the Lender /its authorized officers/its agents shall take an inventory of the Vehicle(s) in detail.
- (c) The Lender shall give the Borrower(s) five days' notice to discharge their liability in full, including any costs incurred by the Lender on the repossession.
- (d) If the Borrower(s) fails to discharge the liability the Lender shall be entitled to sell the Vehicle(s) by a transparent process of collecting requests from intending purchasers and selling to the highest quotes received.
- (e) The Lender will continue to exercise its right to

- किसी भी संपत्ति या संपत्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का लगाव या क्रम या अन्य प्रक्रिया की अनुमति देता है।
- (d) यदि उधारकर्ता को किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है।
- (e) यदि किसी भी समय किसी गैरकानूनी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है या यदि दृष्टिबंधित वाहन किसी प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी क़ानूनी कार्यवाही का विषय बनता है।
- (f) यदि उधारकर्ता(ओं) वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति की आपूर्ति करने में विफल रहता है और/ या ऋणदाता के नाम पर दृष्टिबंधित अनुबंध के समर्थन के साथ बीमा प्रतिलिपि या वाहन का बीमा/ नवीनीकरण करने में विफल रहता है।
- (g) यदि कोई ऐसी अन्य परिस्थिति मौजूद है, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में, ऋणदाता की रुचि या सुरक्षा को जोखिम में डालती है।

7 बकाया का परिणाम

बकाया की एक घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय अगर इस तरह की घटना जारी रहती है तो कानून या न्याय के तहत या इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार और उपचार के पूर्वाग्रह के बिना ऋणदाता:

- (a) पूरे ऋण को प्रत्याहरित कर सकता है जो उधारकर्ता के बकाया राशि तक सीमित नहीं है और उधारकर्ता को भुगतान करने के लिए किसी भी अन्य नोटिस के बिना ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के भुगतान की विफलता की स्थिति में उधारकर्ता को ऋणदाता और/ या उसके प्रतिनिधियों को ऋणदाता द्वारा वित्तपोषित वाहन या ऋणदाता द्वारा अनुमोदित वित्तपोषित राशि के बराबर मूल्य वाली कोई वस्तु सुपुर्द करना होगा। ऋणदाता वाहन(नों) और किसी भी अन्य उत्पाद के निपटान का हकदार होगा और उधारकर्ता के बकाया के खिलाफ आय को समायोजित करेगा। किसी भी कमी (बिक्री पर नुकसान) के मामले में, उधारकर्ता(ओं) और/ या गारंटर द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (b) उधारकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए किसी भी PM / PDC के दस्तावेजों को प्रस्तुत कर नकद बनाया जा सकता है।
- (c) प्रचलित कानूनों के अनुसार कानूनी कार्यवाही जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 आदि के अनुभाग 25 शामिल हैं।
- (d) बकाया की घटना होने के 3 दिनों के भीतर वाहन पर अधिकार और उधारकर्ता के बकाया की वस्ली के लिए उसी का निपटान।
- (e) ऋणदाता और उसके बाद अपने विवेकाधिकार पर स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि या किसी अन्य अनुक्रम में वाहन की बिक्री की आय को पहले उचित रूप से ऋण की बाबत सभी लागतों, शुल्कों, दंड और बकाया शुल्कों की संतुष्टि दूसरा उधारकर्ता के द्वारा देय ब्याज और अन्य रकम का भुगतान।
- (f) किसी भी समय, भले ही ऋण को प्रत्याहारित कर दिया गया हो, ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय के बिना वाहन(नों) पर अधिकार और उधारकर्ता द्वारा बकाया

recover the shortfall/loss on sale and take appropriate legal recourse.

9 ARBITRATION

Any and all disputes, difference and/or claims arising out of/ or in connection with this Agreement or its performance shall be settled by Arbitration to be held in Pune, in accordance with the provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996, or any statutory amendments thereof and shall be referred to the sole Arbitrator appointed by the Lender. The proceedings shall be in English and the place of proceedings shall be at Pune, Maharashtra. The Award given by the Arbitrator shall be final and binding on all the parties concerned. Pending the passing of the final award, Borrower(s)/Guarantor(s) shall be liable to perform all its obligations under this Agreement. Nothing contained herein shall be construed extinguishing, limiting or ousting the rights and remedies of the Lender, if available now or in the future as against the Borrower(s)/Guarantor(s) and/or any other persons, or any of its respective assets, under any other applicable Act, Laws and Regulations, and the Lender shall stand absolutely entitled to exercise such rights/remedies thereunder irrespective of the initiation, pendency, continuation of any arbitral or other proceedings.

10 MISCELLANEOUS PROVISIONS

- (a) The Statement of account of the Lender, duly certified by its authorized officer, shall be conclusive evidence of amount due to the Lender and of payments received by the Lender. Credit for payments made by the Borrower(s) to the Lender will be given only on realization.
- (b) Service of Notice: Any notice or request required or permitted to be given or made under this Lender Agreement to Borrower(s)/Guarantor(s) shall be given in writing in English language and/or vernacular language. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand, mail, post, courier or registered email to the Party to which it is required or permitted to be given at such Party's last available contact address. In case of any change of address/contact number/email id of the Borrower(s)/Guarantor(s), for the same to be effective, they must give a prior express written intimation of the same of at least (fifteen) days to the Lender. notice/communications to Borrower(s)/Guarantor(s) may also be given/ sent to the Borrower(s) by the Lender by way of sms to their mobile number registered with the Company. Any notice to the Borrower shall be deemed to have delivered and served upon Borrower(s)/Guarantor(s) fully in case of hand delivery when actually delivered, in case of email or sms when sent by the sender, in case of mail or post or courier within 3 (three) days of dispatch of such notice.
- (c) If at any time any right or provision set forth in this Agreement is or becomes invalid or unenforceable under the law, it is agreed that the remainder of the

राशि के भुगतान न करने की स्थिति में चाहे ऋणदाता की राय में कोई उधारकर्ता की आशंका हो या नहीं। ऋणदाता की उपयुक्ततानुसार CIBIL या ऐसी किसी अन्य क्रेडिट एजेंसी को उधारकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी बकाया की जानकारी का खुलासा।

- (g) उधारकर्ता के नाम या उसकी कंपनी/ इकाई/ फर्म और उसके निदेशकों/ शेयरधारकों/ साझेदारों/ प्रोप्राइटरों, जो इस तरह से डिफॉल्टरों के रूप में हैं, ऋणदाता या RBI के पूर्ण विवेक से उपयुक्त, विवरणों को प्रकट और प्रकाशित किया जा सकता है।
- (h) उधारकर्ता(ओं) किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा वाहन(नों) या किसी भी वस्तु या संपत्ति के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ ऋणदाता की बीमा करवायेंगे जैसा कि उपर्युक्त के रूप में निपटाया गया है जिसमें इस तरह के तीसरे पक्ष ने ब्याज का दावा किया है।

8 वाहन(नों) का अधिकार और निपटारा

- (a) बकाया की एक घटना के होने पर, ऋणदाता उधारकर्ता के साथ अंतिम उपलब्ध संपर्क विवरणों में मौखिक और/या लिखित सूचना /नोटिस के आधार पर वाहन(नों)का अधिकारी होगा।
- (b) ऋणदाता / उसके प्राधिकृत अधिकारियों / उसके एजेंटों के प्रत्यावर्तन पर वाहन की एक सूची को विस्तार से लिया जाएगा।
- (c) ऋणदाता उधारकर्ता को पूर्ण रूप से अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए पांच दिनों का नोटिस देगा, जिसमें ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान पर की गई कोई भी लागत शामिल होगी।
- (d) यदि उधारकर्ता देयता का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता वाहन खरीदने (बेचने) के लिए इच्छुक खरीदारों से अनुरोध एकत्र करने और प्राप्त उच्चतम अवतरणों को एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा बेचने का हकदार होगा।
- (e) ऋणदाता बिक्री पर कमी/ हानि की क्षतिपूर्ति करने और उचित कानूनी सहारा लेने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेगा।

9 विवाचन

किसी भी और सभी विवादों, अंतर और/ या इस समझौते या उसके प्रदर्शन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले दावों को किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार पुणे में विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 के तहत होने वाले विवाचन द्वारा सुलझाया जाएगा जिसमें संशोधन और ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचन को संदर्भित किया जाएगा।कार्यवाही अंग्रेजी में होगी और कार्यवाही का स्थान पुणे, महाराष्ट्र में होगा। विवाचक द्वारा दिया गया अधिनिर्णय अंतिम और संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। अंतिम अधिनिर्णय पारित होने के बाद उधारकर्ता(ओं) / गारंटीकर्ता इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों को निभाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो ऋणदाता के अधिकारों और उपचारों के शमन और सीमित या बाहर निकालने के रूप में माना जाएगा, यदि अभी और भविष्य में उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर और/ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ संबंधित संपत्ति, किसी भी अन्य लागू अधिनियम,

Agreement shall nevertheless be enforceable and that, to the extent permitted by law, the parties intentions, as reflected in any such right or provision that is invalid or unenforceable shall be given effect to.

- (d) Time shall be essence of this Agreement in so far as it relates to the observance or performance by the Borrower(s) of all or any of its obligations including payment of any sum hereunder.
- (e) Any delay in exercising or omission any right, power or remedy accruing to the Lender under this Agreement or any other Agreement or document shall not impair any such right, power or remedy and shall not be construed to be a waiver thereof or any acquiescence in any default, or any acquiescence in any default, affect or impair any right, power or remedy of the Lender in respect of any other default.
- (f) The Lender has framed a fair practice code as per Reserve Bank of India Regulations which is available at www.wheelsemi.com.
- (g) For any service related issue, customer can get in touch with the Lender by calling customer helpline number 7770005555 or writing at customercare@wheelsemi.com
- (h) The Borrower(s)/Guarantor(s) authorize the Lender and/or its authorized representatives and/or its agents and service providers to call the Borrower(s)/Guarantor(s) at the available contact number for loan processing and providing related services during the loan tenure.
- (i) The Lender shall give a notice to the Borrower(s) in English language / vernacular language of any change in the terms and conditions including disbursement schedule, interest rates, service charges, etc. Lender agrees that any change in interest rates and charges, if applicable, are affected only prospectively. If required, a separate addendum to the loan agreement may be executed by the parties.
- (j) This Agreement shall be subject of the exclusive jurisdiction of the Courts of Pune, Maharashtra.
- (k) The Agreement, Schedule and other documents annexed hereto integrate all the terms and conditions and supersedes all negotiations, prior writings.
- (I) The Borrower(s)/Guarantor(s) confirm that the contents (all the terms and conditions) of this Agreement (Pg. 1 to Pg. 6) have been fully explained to the Borrower(s)/Guarantor(s) by the Lender in the English/vernacular language known to them at the time of availing the Loan and only thereafter the Borrower(s)/Guarantor(s) have put their signature/thumb impression on the page 6, of this agreement/ signed the agreement electronically In case of multiple interpretations of any part of the Agreement, English language shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF all the Parties hereto have set and subscribed their respective hands on the day, month and year first herein above written.

कानून और विनियमों के तहत उपलब्ध हो और ऋणदाता ऐसे अधिकारों/ उपायों का किसी भी विवाचन या अन्य कार्यवाही के प्रवर्तन, विचारधीनता या निरंतरता के बावजूद उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मौजूद रहेगा।

10 विविध प्रावधान

- (a) ऋणदाता के खाते का विवरण, इसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, ऋणदाता और ऋणदाता द्वारा प्राप्त भुगतानों के कारण राशि का निर्णायक प्रमाण होगा। उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाता को किए गए भुगतान का श्रेय केवल प्राप्ति पर दिया जाएगा।
- सूचना की सेवा: इस समझौते के तहत ऋणदाता या (b) उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अनुरोध अंग्रेजी भाषा और/ या क्षेत्रीय भाषा में लिखित रूप में दिया जायेगा। इस तरह के नोटिस या अनुरोध को उस पार्टी को विधिवत रूप से दिया या दिया गया माना जाएगा जब उसे उस पार्टी के अंतिम उपलब्ध संपर्क पते पर प्रत्यक्ष, मेल से, डाक द्वारा, कूरियर या पंजीकृत मेल से दिया गया होगा। उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के पते/मोबाइल नंबर/ ईमेल के किसी भी परिवर्तन के मामले में, प्रभावी होने के लिए उन्हें कम से कम 15 (पंद्रह) पूर्व ऋणदाता को लिखित सूचना देनी होगी। उधारकर्ता(ओं) को कोई भी नोटिस / सूचना कंपनी द्वारा पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ऋणदाता द्वारा भेजे जा सकते हैं। उधारकर्ता को किसी भी नोटिस को भेजा गया मान लिया जाएगा जब उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) को प्रत्यक्ष रूप से सौंप दिया जायेगा और ऐसे नोटिस भेजने के 3 (तीन) दिनों के भीतर मेल या पोस्ट या कूरियर प्रेषक द्वारा भेजा गया हो।
- (c) यदि किसी भी समय इस समझौते में निर्धारित कोई अधिकार या प्रावधान कानून के तहत अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो यह सहमति है कि समझौते का शेष हिस्सा लागू करने योग्य नहीं होगा और कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, पक्ष का प्रयोजन किसी भी ऐसे सही या प्रावधान में परिलक्षित होता है जो अमान्य या अप्रवर्तनीय है, को प्रभावी कर दिया जाएगा।
- (d) समय इस समझौते का सार होगा जो किसी भी राशि के भुगतान सहित सभी या इसके दायित्वों के उधारकर्ता(ओं) द्वारा पालन या प्रदर्शन से संबंधित है।
- (e) इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत ऋणदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शिक या उपाय का प्रयोग करने या चूकने में किसी भी तरह का विलम्ब, इस तरह के किसी अधिकार, शिक या उपाय को बाधित नहीं करेगा और इसके लिए किसी भी तरह से छूट या किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बकाया या बकाया के सम्बन्ध में किसी भी परिचितता, किसी भी अन्य बकाया के संबंध में ऋणदाता के किसी भी अधिकार, शिक या उपाय को प्रभावित करता है।
- (f) ऋणदाता ने भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों के अनुसार उचित व्यवहार संहिता तैयार की है जो www.wheelsemi.com पर उपलब्ध है।
- (g) किसी भी सेवा से संबंधित समस्या के लिए, ग्राहक ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 7770005555 पर कॉल करके या

borrower Signature
Co-borrower Signature
Guarantor Signature
WheelsEMI Private Limited
Authorised Signatory

- customercare@wheelsemi.com पर लिखकर ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।
- (h) उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को ऋणदाता और/ या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों और/ या उसके एजेंटों और सेवा प्रदाताओं को ऋण प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध संपर्क नंबर पर ऋण अवधी के दौरान फोन करने और संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- (i) ऋणदाता उधारकर्ता को अंग्रेजी भाषा/ क्षेत्रीय भाषा में नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव का नोटिस भेजेगा, जिसमें संवितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा शुल्क इत्यादि शामिल हैं। ऋणदाता इस बात से सहमत हैं कि यदि लागू हो तो ब्याज दरों और शुल्कों में कोई भी बदलाव, केवल संभावित रूप से प्रभावित होता है। यदि आवश्यक हो, तो पक्षों द्वारा ऋण समझौते के लिए एक अलग परिशिष्ट निष्पादित किया जा सकता है।
- (j) यह समझौता पुणे, महाराष्ट्र के न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- (k) समझौता, अनुसूची और यहाँ संलग्न अन्य दस्तावेज सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है और सभी समझौतों, पूर्व लेखों को अधिगृहीत करता है।
 - उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर (रों) इसकी पुष्टि करते हैं कि इस समझौते की सामग्री (सभी नियम और शर्तें) (पृष्ठ __1_ से पृष्ठ __6__) पूरी तरह से उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को समझाया गया है। ऋण का लाभ उठाने के समय उन्हें जात अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा में ऋणदाता और उसके बाद उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) ने इस समझौते के पेज _6_ पर अपने हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

समझौते के किसी भी हिस्से की कई व्याख्याओं के मामले में, अंग्रेजी भाषा अभिभावी होगी। साक्ष्य के तौर पर यहाँ संलग्न सभी पक्षों ने उपरिलिखित प्रत्यक्ष रूप से दिन, महीने और वर्ष के हिसाब से निर्धारित किया है।

उधारकर्ता का हस्ताक्षर
सह-उच्चारकर्ता का हस्ताक्षर
गारंटीकर्ता का हस्ताक्षर
व्हील्स ईएमआई प्राइवेट लिमिटेड

WHEELSEMI PRIVATE LIMITED

Registered office: Sham Shankuntal Heights, 3A, Modi Baug, Ganeshkhind Road, Shivajinagar, Pune - 411016 CIN No.: U65900PN1997PTC174673 www.wheelsemi.com Phone No.: 020 67097000

Date: 22/02/2022 Place: Pune City East

Schedule / Sanction Terms

Loan Account Number — 936484

	Borrower Name	WRTRT RTRTR
1	Address	WEREREWR
1	Co-borrower Name	SDSD SDSADSA
	Guarantors Name	SDSD SDSADSA
2	Dealer Name	sdvfv fgverg
	Product	Two-Wheeler
3	Make & Model	Honda CD 110 DREAM DLX BS
3	Year of Manufacture	2022
	Vehicle Registration No	To be registered and intimated to Wheels EMI
4	Amount Financed / Loan Amount	41656
5	Rate of Interest	(13.25 P.A.
6	Tenure	36 Months
	Instalment Amount (Rs.)	1617
	No of Advance Instalment's	0
	Margin Money	38150
7	Processing Fee	1250
	Stamping charges	100
	NACH & DCC charges	500
	Other charges	0
8	Repayment Mode ADM/NACH/ CASH/OTHERS	ACH
9	IRR	27
10	First Due Date	12/02/2022
10	Last Due Date	12/02/2025
11	Monthly Due Date (Every month)	12

Schedule of charges				
Late Payment Penality	Not exceeding 3% per month for the unpaid instalement + applicable taxes	Loan Foreclosure Charges	Not exceeding 3% on Principle outstanding +applicable taxes	
Collection Charges	Rs. 200 Per Instance	Duplicate NOC Charges	Rs. 295 Per Instance	
Statement of Account- E-mail	NIL	Legal Charges / Applicable Taxes	At Actual to be borne by borrower	
Statement of Account- Print	Rs. 118 Per Instance	Vehicle Repossession Charges	Rs. 30000 per bucket	
Repayment mode Swap Charges	Rs. 590 Per Instance	Repossessed Vehicle Parking Charges	Rs. 50 per day * No. of days	
Change in EMI due date Charges	Rs. 590 Per Instance	Registration / Title Transfer/ Hypothecation	To be done by the Borrower immediately after disbursement of Loan	
Bounce Charges	Up to Rs. 531 Per Instance			

Above proposal & terms are subjected to standard terms and conditions of the Agreement and forms an integral part of the Agreement.

Customer Service Helpline Number-7770005555 OR Email us at: customercare@wheelsemi.com

Received, Read and U	nderstood		
Borrower Signature	Co-borrower Signature	Guarantor Signature	WheelsEMI Private Limited Authorised Signature

